



The Uttar Pradesh King George's Medical University Act, 2002

Act 8 of 2002

Keyword(s):

Medical University, Chief Superintendent of Hospital, Private Medical College, College, Para Medical Degree Courses

Amendments appended: 4 of 2004, 15 of 2006, 2 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
अधिनियम, 2002

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2002)

**THE UTTAR PRADESH KING GEORGE'S MEDICAL
UNIVERSITY ACT, 2002**

(U.P. Act No. 8 of 2002)

**उत्तर प्रदेश ¹[किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय]
अधिनियम, 2002²**

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 08, सन् 2002]

उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 2003

उ० प्र० अधिनियम संख्या 04, 2004

उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 2006

उ० प्र० अधिनियम संख्या 18, 2007

उ० प्र० अधिनियम संख्या 31, 2007

उ० प्र० अधिनियम संख्या 06, 2013

उ० प्र० अधिनियम संख्या 42, 2018

उ० प्र० अधिनियम संख्या 02, 2019

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 5 सितम्बर, 2002 ई० को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 सितम्बर, 2002 ई० को प्रकाशित हुआ।]

लखनऊ विश्वविद्यालय से ¹[किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एंड एसोसिएटेड हास्पिटल्स को अंतरित करके किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है : —

अध्याय — एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम ¹[उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] अधिनियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।

2— इस अधिनियम में —

(1) "विद्या परिषद्", "सभा" और "कार्य परिषद्" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् सभा और कार्य परिषद् से है ;

(2) "नियत दिनांक" का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक से है ;

(3) "दन्त चिकित्सा" और "चिकित्सा" के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए क्रमशः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 और भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 में समनुदेशित है;

(4) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है ;

(5) "गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल" का तात्पर्य गांधी मेमोरियल हास्पिटल, क्वीन मेरी हास्पिटल, कस्तूरबा क्लीनिक एण्ड हास्पिटल (क्षय रोग), बाल चिकित्सालय, दन्त विज्ञान संकाय से सम्बद्ध हास्पिटल, कुष्ठ हास्पिटल और रक्त बैंक, पुनर्वास एवं कृत्रिम केन्द्र से है और इसके अन्तर्गत ऐसे सभी चिकित्सालय, औषधालय

संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ

परिभाषाएं

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित — 8 अगस्त, 2012 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

और प्रयोगशालायें भी है जो पूर्वोक्त किसी चिकित्सालय और रक्त बैंक से सम्बद्ध या उसके सहायक के रूप में हों ;

(6) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास से है जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हो ;

(7) "संस्था" का तात्पर्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हास्पिटल से है ;

(8) किंग जार्ज मेडिकल कालेज के अन्तर्गत उसके दन्त संकाय को सम्मिलित करते हुए समस्त औषधालय, व्याख्यान कक्ष, संग्रहालय, प्रयोगशालायें, पुस्तकालय, छात्रावास और बोर्डिंग हाऊस भी है जिनका प्रयोग उक्त कालेज के सम्बन्ध में या उसके उप साधान के या सहायक के रूप में किया जाता है ;

(9) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(10) "रजिस्ट्रीकृत स्नातक" का तात्पर्य परिनियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से है और उसके अन्तर्गत ऐसा स्नातक भी सम्मिलित है जिसने नियत दिनांक के पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के छात्र के रूप में कोई चिकित्सा उपाधि प्राप्त की हो ;

(11) "परिनियम", "अध्यादेश" और "विनियम" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम से है ;

(12) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो ;

(13) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित ¹[किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] से है ।

अध्याय — दो

विश्वविद्यालय

3—विश्वविद्यालय में इस रूप में तत्समय पद धारण कर रहे कुलाधिपति, कुलपति तथा कार्य परिषद्, सभा और विद्या परिषद् के सदस्यों से मिलकर एक निगमित निकाय ¹[किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] के नाम से गठित होगा ।

4—नियत दिनांक को और उसी दिनांक से —

(क) ऐसी संस्थाओं का नियंत्रण और प्रबन्ध जो दिनांक 1 मार्च, 1921 से कार्यपालक आदेश द्वारा राज्य सरकार से लखनऊ विश्वविद्यालय को अन्तरित किया गया था उससे सम्बन्धित समस्त ऐसी सम्पत्ति और आस्तियों के, जो उक्त अन्तरण के समय विद्यमान थी, उसके किन्हीं अनुवृद्धियों और अधिमिलनों के साथ नियंत्रण और प्रबन्ध सहित लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय को अन्तरित और उसमें निहित हो जायगा ;

(ख) संस्था की समस्त सम्पत्तियाँ और आस्तियाँ, चाहे उन्हें राज्य सरकार के अनुदान से या अन्य प्रकार से अर्जित या सृजित किया गया हो जिसके अन्तर्गत संस्था के

विश्वविद्यालय
का निगमन

किंग जार्ज
मेडिकल
कालेज इत्यादि
का लखनऊ
विश्वविद्यालय
से
विश्वविद्यालय
को अन्तरण
किया जाना

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

नाम में या उसके लेखे में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा धृत कोई नकद धनराशि भी है चाहे वह किसी बैंक में या अन्य प्रकार से जमा हो लखनऊ विश्वविद्यालय से अन्तरित हो जायेगी और विश्वविद्यालय में निहित हो जायेगी ;

(ग) धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार शक्ति और विशेषाधिकार, कर्तव्य, ऋण, दायित्व और आभार, जो किसी संस्था के कार्यकलाप के सम्बन्ध में संविदात्मक या अन्य प्रकार से उत्पन्न या प्रोद्भूत या उपगत हो, विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायेंगे ;

(घ) पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन किसी आस्ति या दायित्व के अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में किसी संदेह या विवाद को राज्य सरकार को विनिर्दिष्ट किया जायगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ङ) किसी ऐसे इच्छा-पत्र, विलेख या अन्य दस्तावेज में, चाहे उसे नियत दिनांक के पूर्व या पश्चात् तैयार या निष्पादित किया गया हो, जिसमें किसी संस्था के प्रयोजन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के पक्ष में कोई वसीयत, दान, विन्यास या न्यास अन्तर्विष्ट हो, समस्त निर्देश का यह अर्थ लगाया जायगा मानों उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के स्थान पर ¹[किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय] का नाम लिखा गया हो ।

5-धारा 4 के आधार पर विश्वविद्यालय को अन्तरित सम्पत्ति, आस्तियों और अधिकारों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता रहेगा, जिनके लिए नियत दिनांक के ठीक पूर्व उनका उपयोग किया जाता रहा है या जिनके लिए उपयोग किया जाना आशयित है ।

आस्तियों
इत्यादि का
उपयोग

6-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और तद्धीन बनाये गये परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, —

किंग जार्ज
मेडिकल
कालेज का
विश्वविद्यालय
में अन्तरण

(क) किंग जार्ज मेडिकल कालेज नियत दिनांक से लखनऊ विश्वविद्यालय के संघटक विद्यालय के रूप में नहीं रह जायेगा और उन्नत हो जाएगा और विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जायगा ; और

(ख) किंग जार्ज मेडिकल कालेज का कोई छात्र जो नियत दिनांक के ठीक पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहा था नये विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में अपना अध्ययन जारी रखेगा और उसकी तैयारी में अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा और नए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रवेश पा सकेगा ।

7-(1) नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के प्राधानाचार्य के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति, प्रधानाचार्य के पद के समाप्त किये जाने पर उसी दिनांक से कुलपति के रूप में नियुक्त हो जायेगा जब तक कि इस अधिनियम के अनुसरण में कुलाधिपति द्वारा कुलपति के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं कर दी जाएगी ।

कुलपति और
कर्मचारी वर्ग
की प्रथम
नियुक्तियाँ

(2) कुलपति द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालय के आचार्यों में से ²[हॉस्पिटल का मुख्य अधीक्षक] नियुक्त किया जा सकता है ।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 06, 2013 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(3) दंत संकाय को छोड़कर, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य चिकित्सा संकाय का अध्यक्ष होगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और तत्पश्चात् ज्येष्ठता-क्रम के अनुसार पद चक्रानुक्रमित होगा ।

(4) नियत दिनांक के ठीक पूर्व दंत संकाय के अध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अनुसार अपनी पदावधि की समाप्ति तक पद धारण करता रहेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक तीन वर्षों पर ज्येष्ठता के क्रम में पद चक्रानुक्रमित होगा ।

8- इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में विश्वविद्यालय के लिए नई कार्य परिषद् के गठन हो जाने तब एक अंतरिम कार्य परिषद्, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, कार्य परिषद् के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी :-

**अंतरिम कार्य
परिषद्**

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ख) 1[* * * *] 1[प्रति कुलपति यदि कोई हो];

(ग) संकायों के अध्यक्ष ;

(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न) ;

(ङ) उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ का ज्येष्ठ न्यायाधीश या किसी बैठक के लिये उसके द्वारा नामित उस पीठ का अन्य न्यायाधीश ;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश ;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामित किसी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य ;

(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, लखनऊ ;

(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, या किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिये उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य ;

(ञ) किंग जार्ज मेडिकल कालेज जैसा कि वह नियत दिनांक के पूर्व था, के दो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य और दो सेवानिवृत्त आचार्य जो कि कुलाधिपति द्वारा नामित किये जाएंगे ;

(ट) कुलाधिपति द्वारा नामित, चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का एक प्रख्यात व्यक्ति ।

9- लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक या अन्य सेवक जो संस्थाओं के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सम्यक् रूप से सशक्त हो और नियत दिनांक के ठीक पूर्व इस रूप में संस्थाओं में सेवारत हो जब तक कि वह नियत दिनांक से नब्बे दिन के भीतर विश्वविद्यालय को लिखित रूप में अपने इस आशय की नोटिस न दे कि वह विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं होना चाहता है, विश्वविद्यालय का अध्यापक या अन्य सेवक हो जायेगा और उसी अवधि के लिए और उन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों पर और सेवानिवृत्ति लाभ या अन्य

**अध्यापकों
आदि का
अन्तरण**

विषय के साथ अपना पद धारण करेगा जिस पर वह लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन धारणकर्ता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह इस प्रकार बना रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अधीन उसका सेवायोजन सम्यक् रूप से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों के अनुसार उन निबन्धनों और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन न कर दिया जाय ।

10-विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे : —

**विश्वविद्यालय
के उद्देश्य**

(क) 1[चिकित्सा, दन्त चिकित्सा परिचर्या परा-चिकित्सा और ऐसी अन्य शाखाएं जो समय-समय पर विहित की जाएं में ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना और उसमें दक्षतापूर्ण एवं व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करना ;]

(ख) विद्यमान संस्थाओं को उन्नत करके एक बहुआयामी अति विशिष्ट हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था करना और उन्हें उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में स्थापित करना ;

(ग) अपने हास्पिटलों में रोगियों का उपचार करना ;

(घ) एक परिचर्या प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना ;

(ङ) पुनर्वास एवं अंग केन्द्र, पैथालाजी प्रयोगशालाओं, डाइग्नोस्टिक सेन्टरों और रक्त बैंकों को सम्मिलित करते हुए अस्पतालों का प्रशासन, प्रबन्धन और नियंत्रण करना ;

(च) एक दूरस्थ चिकित्सा विभाग स्थापित करना ;

(छ) एक पुनःउत्पादक एवं जनसंख्या नियंत्रण अनुसंधान का विकास करना ;

(ज) एक जैनेटिक्स विभाग विकसित करना ;

(झ) एक पर्यावरण एवं प्रदूषण संस्थान विकसित करना ;

(ञ) ट्रान्सप्यूशन चिकित्सा का विकास करना ;

(ट) एक पोषण अनुसंधान केन्द्र का विकास करना ;

(ठ) चिकित्सा एवं दन्त विज्ञान में जीन थिरैपी मालीकुलर बायोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी, बायोइन्फार्मेटिक्स, अंग प्रत्यारोपण बायोटेक्नालाजी इम्यूनोलॉजी तथा क्लीनिकल एपीडियोलॉजी और अद्यतन मानकों के अनुरूप सुविधाओं को विकसित करना ; और

(ड) अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक केन्द्र स्थापित करना ।

11-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् : —

**विश्वविद्यालय
की शक्तियां
और कर्तव्य**

2[(एक) चिकित्सा दन्त चिकित्सा, परिचर्या, परा-चिकित्सा एवं अन्य शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे और उन शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिये अनुसंधान की व्यवस्था करना ;]

(दो) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां संस्थित करना और प्रदान करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षाएं और परीक्षणों को संचालित करना और उसके सम्बन्ध में शर्तों को अधिकथित करना ;

1. [उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

2. [उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टियां स्वीकृत और प्रदान करना जिन्होंने —

(क) विश्वविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो, या

(ख) विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया हो,

(पाँच) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(छः) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, और ऐसे व्याख्यानों और अनुदेशों की व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे ;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें ;

(आठ) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां (यात्रा करना अधिछात्रवृत्तियों को सम्मिलित करते हुये) विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(नौ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा को अपनी उपाधि के समतुल्य या, किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना ;

(दस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये शोध संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना ;

(ग्यारह) छात्रावासों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये आवास के स्थानों को मान्यता देना ;

(बारह) अध्यादेशों के अनुसार फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(तेरह) निवासियों का प्रवेक्षण एवं नियन्त्रण करना और विश्वविद्यालय संस्थाओं के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिये व्यवस्था करना ;

(चौदह) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित शिक्षण, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय एवं अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(पन्द्रह) श्रेष्ठ एवं अनुसंधान कार्यों के प्रकाशन का जिम्मा लेना ;

(सोलह) अपने अस्पतालों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये व्यवस्था करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये यथावश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो;

¹ [* * *]

12—जाति, वर्ग, मतावलम्बियों या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा —

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय,—

(एक) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये पात्रता सीमित कर सकता है ;

(दो) तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है ।

निरीक्षण तथा जाँच

13—(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर है और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा ।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद् द्वारा नाम—निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा ;

परन्तु ऐसे निरीक्षण या जाँच में विश्वविद्यालय की ओर से कोई व्यक्ति विधि व्यवसाई के रूप में न तो उपस्थित होगा न अभिवचन करेगा और न कोई कार्य करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिए नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधिन किसी वाद पर विचार करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी ।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्य परिषद् को संसूचित करेगा ।

विश्वविद्यालय
सभी वर्गों
और
मतावलम्बियों
के लिए होगा

परिदर्शन

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 2018 की अनुसूची द्वारा निकाला गया ।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे कार्य परिषद् द्वारा की गयी या की जाने के लिये प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जाँच की और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश का पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी की प्रतियाँ भी भेजेगी।

अध्याय – तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

14-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे : —

विश्वविद्यालय
के अधिकारी

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) 1[* * * *] प्रतिकुलपति]

(घ) वित्त अधिकारी ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हो ;

(छ) संकायों का संकायाध्यक्ष ;

(ज) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष ;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

15-(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान तथा सभा का सभापति होगा और जब वह उपस्थित हो तो सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलाधिपति

(2) सम्मानिक उपाधि प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्वधीन होगी।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगे, प्रस्तुत करे।

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by or under the Statute or the Ordinances.

1. [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 4 द्वारा निकाला गया](#) और [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 05 द्वारा जोड़ा गया।](#)

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाये ।

16—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उपधारा (5) या उपधारा (10) द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों ।

कुलपति

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलपति की पदावधि की समाप्ति के कारण उसके पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व एक ऐसा व्यक्ति (जो विश्वविद्यालय, या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हो) जिसका निर्वाचन कार्य परिषद द्वारा किया जाना है ;

(ख) इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति है या रहा हो, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है : और

(ग) कुलाधिपति द्वारा नाम—निर्दिष्ट एक व्यक्ति जो समिति का संयोजक भी होगा:

परन्तु जहां कार्य परिषद खण्ड (क) के अनुसार किसी व्यक्ति का निर्वाचन करने में असफल रहती है, वहां कुलाधिपति खण्ड (ग) के अधीन अपने द्वारा नाम—निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त एक व्यक्ति को कार्य परिषद के प्रतिनिधि के बदले में नाम—निर्दिष्ट करेंगे ।

(3) उपधारा (7) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हो । समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान—क्रम उपदर्शित न करेगी ।

(4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) यदि समिति उपधारा (3) या उपधारा (4) में निर्दिष्ट दशा में कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी नाम का सुझाव देने में असफल या असमर्थ है, या यदि कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये नाम वालों में से किसी एक या अधिक को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं तो कुलाधिपति शिक्षा क्षेत्र में

प्रतिष्ठित तीन व्यक्तियों की एक अन्य समिति नियुक्त करेगा जो धारा (3) के अनुसरण में किसी का नाम प्रस्तुत करेगी ।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियाँ थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जाये कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था ।

¹[(7) (क) केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

(ख) कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ;

(ग) कुलपति जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।]

(8) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कुलपति की उपलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे ।

(9) कुलपति के रूप में अपनी सेवाओं के संबंध में, कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि के फायदे का हकदार न होगा ;

(10) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिय जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा :—

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जायगी ;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधरा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो ;

(ग) किसी अन्य आपात् में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय—समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 31, 2007 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

¹[(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रतिकुलपति न हो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।]

(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों की कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(13) उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जाँच के लंबित या विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये, —

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन हकदार था ;

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

17— (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और,—

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चय को कार्यान्वित करेगा ;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में सभा के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दिक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा ;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ और समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) वह कार्यपरिषद्, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा।

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 6 द्वारा बढ़ाया गया।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा ।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 15 तथा 53 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों ।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, सभा, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति के अधिवेशन के बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी ;

परन्तु वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(6) जहाँ विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सकें, तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम के मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्णानुमोदन के बिना कुलपति ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय को सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध उस तारीख से जब उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, तीन मास के भीतर कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी ।

(7) उपधारा (6) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिनकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो ।

(8) जहाँ कुलपति द्वारा उपधारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की नियुक्ति की गई हो, तो ऐसी नियुक्ति, विहित रीति

से नियुक्ति दी जाने पर अथवा कुलपति के आदेश की तारीख से छह मास की कालावधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी ।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये ।

¹[18—यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक को प्रति—कुलपति नियुक्त कर सकेगा ।

प्रतिकुलपति

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति—कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्यों के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा ।

(3) प्रति—कुलपति, कुलपति के प्रसाद—पर्यन्त पद धारण करेगा ।

(4) प्रति—कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय ।

(5) प्रति—कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय—समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें ।]

19—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा ।

वित्त
अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी कार्य परिषद् के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(3) उसे कार्य परिषद् में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(4) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे : —

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट में प्राधिकृत न हों, न किया जाय ;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमिततायें न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है ।

(5) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ।

(6) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(7) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसी होंगी जैसी निहित की जाय ।

20—(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा ।

कुल सचिव

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी जैसी विहित की जाय ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिप्रेमाणित करने की शक्ति होगी ।

1. [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 6 द्वारा निकाला गया](#) और [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया](#) ।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्यपरिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्यपरिषद् के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो कार्य परिषद या कुलपति द्वारा विहित किये जाय या अपेक्षित हो किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुल सचिव को विनियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायगा और न वह स्वीकार करेगा।

21—(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

**परीक्षा
नियंत्रक**

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किया जाय या जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति के अधीक्षणाधीन रहते हुये परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुए परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए आवश्यक सभी प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) जहाँ परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

22—कुलाधिपति, कुलपति, ¹ [प्रति-कुलपति] वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जायं।

**अन्य
अधिकारी**

1. [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 04, 2004 की धारा 7 द्वारा निकाला गया](#) और [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।](#)

अध्याय – चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

23- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे : —

- (क) कार्य परिषद ;
- (ख) सभा ;
- (ग) विद्या परिषद ;
- (घ) वित्त समिति ;
- (ङ) संकायों के बोर्ड ;
- (च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियां ;
- (छ) प्रवेश समिति ;
- (ज) परीक्षा समिति ; और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होने के लिये घोषित किये जाये ।

24-(1) कार्य परिषद् में धारा 8 में विनिर्दिष्ट अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के साथ— साथ सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने गये चार व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में नामांकित न हो या उसकी सेवा में न हों ।

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

(3) कोई व्यक्ति कार्य परिषद का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिये अनर्ह, होगा यदि वह या उसका सम्बन्धी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदाय करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डेन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये अथवा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी ।

स्पष्टीकरण :- इस धारा में “नातेदार” का तात्पर्य ¹ [समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में परिभाषित और कम्पनी (परिभाषाओं के ब्योरों का विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन विहित] नातेदारों से है और इसके अन्तर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी है ।

25-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

विश्वविद्यालय
प्राधिकारी

कार्य परिषद
का गठन

कार्य परिषद
की शक्तियां
और कर्तव्य

1. [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना ;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना ;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरस्त करना ;

(चार) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार से रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना ;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना ;

(छः) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधि-छात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना ;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना ;

(आठ) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियाँ तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना ;

(नौ) विश्वविद्यालय को सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना ;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे ;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन की (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों, या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिहित करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना ;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना ;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना ।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनिदान, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य

सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी ।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा ।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें ।

(5) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी ।

(6) विद्या परिषद् और सम्बन्धित संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी ।

(7) कार्य परिषद, सभा के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे और सभा को, यथास्थिति, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी ।

(8) कार्य परिषद, परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

26— (1) सभा में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : —

सभा

वर्ग — 1 — पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कार्य परिषद के सदस्य ;

(तीन) वित्त अधिकारी ;

वर्ग — 2 — आजीवन सदस्य

(चार) ऐसे भारतीय, जिन्होंने विश्वविद्यालय को दो लाख रुपये से अन्यून का संदान किया है ;

(पांच) ऐसे अप्रवासी भारतीय जिन्होंने विश्वविद्यालय को दस हजार से अन्यून पाउण्ड, स्ट्रैलिंग या उसके समतुल्य कोई अन्य विदेशी मुद्रा का संदान किया है ;

वर्ग — 3 — अध्यापकों आदि के प्रतिनिधित्व

(छः) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष और अन्य सभी विभागाध्यक्ष ;

(सात) विश्वविद्यालय के छात्रावासों के प्रोवोस्टों और वार्डनों के दो प्रतिनिधि जिनका चयन विहित रीति से चक्रानुक्रम में किया जाना है ;

(आठ) दस अध्यापक जिनका चयन विहित रीति से किया जाना है ;

वर्ग – 4 – रजिस्ट्रीकृत स्नातक

(नौ) रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के पन्द्रह प्रतिनिधि जो ऐसी अवस्थिति के रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा, जैसा विहित किया जाए, ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से निर्वाचित किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों ;

वर्ग – 5 – छात्रों का प्रतिनिधित्व

(दस) प्रत्येक संकाय का एक छात्र जो उस संकाय में विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती स्नातक परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर मेडिकल उपाधि के लिये शिक्षा पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा हो ;

वर्ग – 6 – राज्य विधान मण्डल के प्रतिनिधि

(ग्यारह) विधान परिषद द्वारा निर्वाचित उसका एक सदस्य ;

(बारह) विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्य ।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सिवाय वर्ग 1, 2 और 5 के प्रत्येक वर्ग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी और उक्त वर्ग 5 के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष होगी ।

27—सभा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये एक सलाहकार निकाय होगी । उसकी निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगी, अर्थात् : —

**सभा की
शक्तियां
और कर्तव्य**

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों एवं उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिये उपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखाओं और उनकी सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो उसे सलाह के लिये निर्दिष्ट किये जाए सलाह देना ; और

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना तथा कृत्यों का संपादन करना जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों या कुलाधिपति द्वारा सौंपे जाय ।

28—(1) सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार ऐसे दिनांक को होगा जो कुलपति द्वारा नियत किया जाये और ऐसा अधिवेशन सभा का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा ।

**सभा का
अधिवेशन**

(2) कुलपति जब कभी ठीक समझे सभा के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर से लिखित अधियाचन पर सभा का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा ।

29—(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए,—

विद्या परिषद्

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी ;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी ; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हों या उस पर अधिरोपित किये जायें ।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् : —

(एक) कुलपति ;

(दो) 1[संकायों के संकायाध्यक्ष] ;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष ;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो ;

(पांच) किंग जार्ज मेडिकल कालेज या राज्य मेडिकल कालेजों के सेवानिवृत्त दो प्राचार्य जिनका विहित रीति से चयन किया जायेगा ;

(छः) पांच अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है ;

(सात) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष ;

(आठ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष ; और

(नौ) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रूप से सहयोजित किये जायेंगे ।

30—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे,—

वित्त समिति

(क) कुलपति ;

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव ;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव ;

(घ) 2[प्रतिकुलपति, यदि कोई हो] ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) परीक्षा नियंत्रक ;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा ।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा ।

1. [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

2. [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 2004 की धारा 8 द्वारा निकाला गया](#) एवं [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 11 द्वारा बढ़ाया गया।](#)

(3) वित्त समिति कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्ध कर होगी।

(4) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त हो अथवा उस पर अधिरोपित किये जायें।

31—(1) [विश्वविद्यालय में चिकित्सा, और दन्त चिकित्सा, परिचर्चा, परा-चिकित्सा और ऐसे अन्य संकाय होंगे जैसा विहित किया जाय।]

संकाय

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो विहित किये जायें और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जायें।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियां और कर्तव्य वहीं होंगे जो विहित किये जायें।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह,—

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन; और

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक् पालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी :

परन्तु प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपधारा के प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा हो, इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पदधारण किये रहेगा जिन पर उक्त दिनांक के ठीक पूर्व धारण किये हो।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जायें।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

32—(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी जिसका गठन अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में होगा।

प्रवेश समिति

1. [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

(2) प्रवेश समिति को उतनी उप-समितियां नियुक्त करने की शक्ति होगी जितनी वह ठीक समझे ।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षणाधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धांतों या प्रतिमानों का अधिकथित करेगी ।

(4) उपधारा (5) के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति प्रवेश के लिए मापदण्ड या रीति जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है के सम्बन्ध में कोई निर्देश दे सकेगी ।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त बनाये ।

(6) पूर्ववर्ती उप धाराओं में किसी बात के होते हुए भी पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रवेश राज्य सरकार के किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए नियत दिनांक के ठीक पूर्व किंग जार्ज मेडिकल कालेज के लिए प्रयोज्य उपबन्धों द्वारा शासित जारी, होते रहेंगे ।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और ऐसा उल्लंघन करके दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की कुलपति को शक्ति होगी ।

33—(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जो अध्यादेशों में यथा उपबन्धित रूप में गठित की जायेगी ।

परीक्षा समिति

(2) समिति साधारणतया विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं का जिसके अन्तर्गत अनुसीमन तथा सारणीकरण भी है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् —

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उसके बारे में विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ग) परीक्षा की पद्धति में सुधार के लिए विद्या परिषद् से सिफारिश करना ;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अन्तिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा करना ।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे और विशिष्ट या किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने

तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिये, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी है ।

34-विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य वहीं होंगे जो विहित किये जाय ।

अन्य
प्राधिकारी

अध्याय – पाँच

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

35-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यापक कार्य परिषद् द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतत्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे । चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो ।

अध्यापकों
की नियुक्ति

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गई नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिये परीक्षा पर होगी जिसे कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु परीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में, कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् आदेश न दे दे :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को, प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना, सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा :

परन्तु यह भी यदि, यथास्थिति परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाये तो परीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जायगी तब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद् का अंतिम आदेश न दे दिये जाये ।

(3) (क) 1[आचार्य अपर आचार्य या सह आचार्य] से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में, संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निर्देश किये बिना दस मास से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य रिक्ति या पद जिसको छः मास से अधिक की कालावधि के लिये होना सम्भाव्य हो, ऐसे निर्देश के बिना नहीं भरेगी ।

(ख) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया हो जिसके छः मास से अधिक चलने की सम्भावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद पर परिवर्तित

1. [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 13 द्वारा बढ़ाया गया।](#)

कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिये छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाय या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो वहां कार्य परिषद् यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करता तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर अधिष्ठायी रूप से, चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित अध्यापक, ऐसी अधिष्ठायी नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो :

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन अधिष्ठायी रूप में नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो, एक वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखा जायगा जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और उपधारा (2) के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे : —

(i) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(ii) संबद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब संबद्ध पद उसके अधिष्ठायी पद से पंक्ति में ऊँचा हो, और ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम् आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायगा :

परन्तु यह और कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें ;

(iii) किसी ¹[आचार्य, अपर आचार्य या सह आचार्य] की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो ।

1. [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण — (1) इस उपधारा के प्रयोजनो के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा ।

स्पष्टीकरण — (2) जहाँ चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा ।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा । ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायगा ;

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो ।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी :

परन्तु ¹[आचार्य या अपर आचार्य या सह आचार्य] के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे —

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिये एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनाधिक नामों की सिफारिश करें ।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य परिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे ।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिये चयन तब तक नहीं किया जायगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो ।

1. [उ0प्र0 अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 13 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

¹[36]—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में इस धारा के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या पदोन्नत कोई सह आचार्य या अपर आचार्य जिनकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सह आचार्य या अपर आचार्य या आचार्य पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।]

सहयुक्त
प्राचार्य एवं
प्राचार्य के पद
पर पदोन्नति

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी।

37—(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी नियुक्त नहीं किया जायगा।

विश्वविद्यालयों
के अध्यापकों
की नियुक्ति
संविदा

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रेक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

38—विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जाए, ऐसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा जिसे वह ठीक समझे जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है जिससे ऐसे अध्यापकों या यथास्थिति उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 में यथापरिभाषित केन्द्र के अधीक्षक या अन्तरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में नियोग्य, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जाएगा।

पेंशन भविष्य
निधि आदि

39—(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें वहीं होगी जो विहित की जाए।

अध्यापकों के
पारिश्रमिकीय
अतिरिक्त
काम की
अनुज्ञेय सीमा

(2) कोई अध्यापक अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :- "पारिश्रमिकीय पद" शब्दों के अन्तर्गत छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीडाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद भी हैं।

1. [उ०प्र० अधिनियम संख्या 2, 2019 की धारा 14 द्वारा प्रतिस्थापित।](#)

40—(1) धारा 37 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती हैं, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर अबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) माध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होगी : —

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना ;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना ; और

(ग) तीन संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाने जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) माध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम् पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई बाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो :

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय — छः

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

41— इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे : —

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय के लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

परिनियम

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण, भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी है) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण-नियम और उनकी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी है) ;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी है) और उनकी परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी है) ;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना ;

(छ) उपाधियां तथा डिप्लोमा संस्थित करना ;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(झ) उपाधियां और डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुनः संगठन ;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना उनका उत्सादन और पुनः संगठन ;

(ड) विश्वविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी है, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण ;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना ;

(ण) स्नातकों के रजिस्ट्रीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना ;

(त) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हों करना ; और

(थ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हो या किये जा सकेंगे ।

42—(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे, परन्तु जब तक कि प्रथम परिनियम इस प्रकार न बनाये जायें, नियत दिनांक के ठीक पूर्व लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवृत्त परिनियम, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो ऐसे अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्धन जो आवश्यक या समीचीन हों, के रूप में हों, और जिसको

**परिनियम
कैसे बनाये
जायेंगे**

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा उपबंधित किया जाय, प्रवृत्त बने रहेंगे तथा ऐसे अनुकूलनों या उपांतरों पर आपत्ति नहीं उठाई जायेगी ।

(2) कार्य परिषद नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी ।

(3) कार्यपरिषद, किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा ।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाय अथवा ऐसी पश्चातवर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, प्रभावी होगा ।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा अध्ययन, शिक्षण या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, विद्यार्थियों या अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए किए गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है ।

(7) कार्य परिषद को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी ।

43—(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें ।

अध्यादेश

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात् —

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलियत होना और इस प्रकार बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या संबंधी विशिष्टतायें ;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और

डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायगा तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा परितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें ;

(च) ऐसे और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबंध ;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और दण्ड की व्यवस्था करना, जिसमें अनुशासन भंग के लिए या नये छात्रों का उनके ज्येष्ठ छात्रों द्वारा किसी उग्र या अश्लील रैगिंग के लिए निलंबन, निष्कासन या विनिष्कासन भी सम्मिलित है ;

(ज) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा ली जा सके ;

(झ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उसके कर्तव्य ;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा भत्ता जिसके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं ;

(ठ) अन्य सभी विषय जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों अध्यादेश द्वारा किये जायें ।

44—(1) विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश, लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यादेश होगा जैसा कि नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त है जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों प्रतिकूल न हों :

अध्यादेश कैसे
बनाये जायेंगे

परन्तु ऐसे किन्हीं अध्यादेशों के उपबन्धों को इस अधिनियम और परिनियमों उपबन्धों के अनुसार बनाने के लिए कुलाधिपति आदेश द्वारा अध्यादेशों में ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर, चाहे वे निरसन, संशोधन या परिवर्तन के रूप में हो, कर सकेगा जैसा कि आवश्यक या समीचीन हो और उपबन्ध कर सकेगा कि अध्यादेश ऐसी तारीख से जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, इस प्रकार किये गये अनुकूलनों तथा उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, और किसी ऐसे अनुकूलन या उपान्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

(2) इस धारा में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय अध्यादेश कार्य परिषद समय-समय पर नये अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों का संशोधन या निरसन कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएँ अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश के लिये धारा 45 की उपधारा (1) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करें जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो ;

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय की प्रस्थापना के अनुसार न हो या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित न किया गया हो, या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(3) कार्य परिषद की उपधारा (3) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या यह उसे विद्या परिषद को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद सुझाव दे ।

(4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जैसा वह निर्देश दे और कुलाधिपति को यथाशक्ति शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(5) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद की उपधारा (2) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को कार्य परिषद को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अनुज्ञात करने की सूचना प्राप्त की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे ।

(6) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो । इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा ।

45—(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकेगा—

विनियमन

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने ;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो इस अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों, और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना जिनका संबंध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों ।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की अधिवेशनों की तारीखें और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले काम-काज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा ।

(3) कार्यपरिषद् सभा से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे पदाधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम

को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दे जैसा निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा ।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विद्या परिषद विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम संबंधित संकाय के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा ।

(5) विद्या परिषद् की उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी ।

(6) इस धारा के अधीन किन्हीं विनियमों के बनाये जाने तक लखनऊ विश्वविद्यालय के सुसंगत विनियम, जैसा कि वे नियत दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, बने रहेंगे ।

अध्याय – सात

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

46—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे सभा को उसके वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी ।

वार्षिक
रिपोर्ट

(2) सभा संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के संबंध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद् को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे ।

47—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्य परिषद् के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत समस्त धन और ऐसी रकमों जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्ट की जायेगी ।

लेखा तथा
संपरीक्षा

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी संपरीक्षा करेगी ।

(3) वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र की संपरीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति कार्य परिषद द्वारा सभा तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी ।

(4) कार्य परिषद ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी ।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथा विहित रकम से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी ।

(6) कार्य परिषद जो वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी ।

(7) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर सभा अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और सभा उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी ।

(8) कुलपति या कार्य परिषद द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगा —

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात राज्य सरकार या भारत या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदान विधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो :

परन्तु धारा 17 की उपधारा (7) के किसी बात के होते हुये भी अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति पचास हजार से अधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा जो बजट में मंजूर न हो और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा ।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमे के संबंध में हो ।

48—(1) धारा 14 के खण्ड (ख) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो ।

अधिभार

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय ।

अध्याय — आठ

प्रकीर्ण

49— (1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी में, के सदस्य यथासंभव निर्वाचन, से भिन्न रीति से चुने जायेंगे ।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय ।

(3) जहां इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो ऐसा निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहां परिनियमों में निर्वाचन के लिये उपबन्ध किया गया है तो ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो ।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्ति रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा ।

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

50—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी है चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

आकस्मिक
रिक्तियों की
पूर्ति

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो अन्य किसी निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब कि वह ऐसे निकाय के प्रतिनिधि बना रहे ।

51—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि,—

रिक्तियों
आदि के
कारण
कार्यवाही का
अविधिमान्य
न होना

(क) उसमें कोई रिक्त अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी ; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम—निर्देशन या नियुक्त में कोई त्रुटि थी ; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो ।

52—सभा, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है जो सभा की राय में नैतिक अधमता सम्बन्धित अपराध हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंककात्मक आवरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए आशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्ही आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गई कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र वापस ले सकती है ।

विश्वविद्यालय
की सदस्यता
से हटाया
जाना

53—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या परिनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

कुलाधिपति
को निर्देश

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश,—

(क) उस तारीख के जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात् ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति के सिवाय नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में —

(क) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निर्देश ग्रहण कर सकेगा;

(ख) जहां निर्दिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचन के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे ।

54—(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जाएगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती ।

विश्वविद्यालय
के अभिलेख
को सिद्ध
करने की
रीति

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की जब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे ।

अध्याय — नौ

संक्रमणकालीन उपबन्ध

55—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित किया जायेगा ।

प्राधिकारियों
का गठन

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद् से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य तथ्य अथवा निर्वाहन योग्य शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वाहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायेगा ।

56—लखनऊ विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में संस्थाओं का अंतरण होते हुए भी,—

(क) किसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां, दिये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण—पत्र मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी की गयी, प्रदत्त, मंजूर या की गयी समझी जाएगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी अन्य आदेश में अधिक्रांति न कर दिये जायें, प्रवृत्त बनी रहेगी;

(ख) किंग जार्ज मेडिकल कालेज के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों, की संस्तुतियों के सम्बन्ध में लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा की

गयी सभी कार्यवाहियां, जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, विधिमान्य मानी जाएगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसी प्रक्रम में जारी रखी जायेगी जहाँ वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थी ;

(ग) जब तक कि धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन विशेषज्ञों का नया पैनल तैयार नहीं किया जाता तब तक, कुलपति उस धारा के अधीन चयन समिति के विशेषज्ञों को उन पैनलों में से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व विद्यमान हो, नाम निर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु यह कि उक्त धारा की उपधारा (5) स्पष्टीकरण 1 तथा 2 के उपबन्ध के इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खण्ड के अधीन ऐसे पैनलों में से किये गये नाम-निर्देशनों पर भी लागू होंगे ;

(घ) जब तक विश्वविद्यालय में कोई वित्त अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता तब तक इस अधिनियम के अधीन वित्त अधिकारी के कृत्य किंग जार्ज मेडिकल कालेज के वित्त अधिकारी द्वारा पालन किए जायेंगे ;

(ङ) जब तक कि विश्वविद्यालय में कोई कुल सचिव नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक इस अधिनियम के अधीन कुलसचिव के कृत्य कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक द्वारा निष्पादित किये जायेंगे ।

57—(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जहाँ तक संस्थाओं का संबंध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

**कठिनाइयां
दूर करने की
शक्ति**

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा ।

(2) उपधारा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था ।

उद्देश्य और कारण

राज्य में विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों के समुचित उपचार का प्रबन्ध करने और आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में संजय गांधी स्नातकोत्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अतिरिक्त एक उत्कृष्ट केन्द्र विकसित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एण्ड एसोसियेटेड हास्पिटल को लखनऊ विश्वविद्यालय से अन्तर्गत करके छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था करने के लिये एक विधि बनाई जाये।

तदनुसार उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पुरःस्थापित किया जाता है।

THE UTTAR PRADESH ¹[KING GEORGE'S MEDICAL
UNIVERSITY] ACT, 2002²

[U. P. Act No. 8 of 2002]

Amended by

U.P. Act No. 13 of 2003

U.P. Act No. 04 of 2004

U.P. Act No. 15 of 2006

U.P. Act No. 18 of 2007

U.P. Act No. 31 of 2007

U. P. Act No. 6 of 2013

U.P. Act No. 42 of 2018

U.P. Act No. 02 of 2019

[As passed by Uttar Pradesh Legislative, assented to by The Governor on September 5, 2002 and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary, dated September 6, 2002]

AN

ACT

to provide for the establishment of a Medical University by the name of ¹[King George's Medical University, Uttar Pradesh] by transfer of the King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals from the University of Lucknow to the said Medical University and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER — 1

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the “Uttar Pradesh King George's Medical University” Act, 2002.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definitions

2. In this Act, —

(1) “Academic Council”, “Court” and “Executive Council” mean respectively the Academic Council, the Court and the Executive Council of the University ;

(2) “appointed date” means the date notified by the State Government under sub-section (2) of section 1 ;

(3) “dentistry” and “medicine” shall have the meanings assigned to them in the Dentists Acts, 1948 and the Indian Medicine Act, 1956 respectively ;

(4) “faculty” means a faculty of the University ;

(5) “Gandhi Memorial and Associated Hospitals” means the Gandhi Memorial Hospitals, the Queen Mary's Hospitals, the Kasturba Clinic and Hospitals (Tuberculosis), the Children Hospitals, the

1. Sub. by sec. 2 of U. P. Act no. 6 of 2013 – w.e.f. August 8, 2012.

2. For SOR see at the end of this Act.

hospitals attached to the Faculty of Dental Sciences, the Leprosy Hospitals and Blood Bank, the Rehabilitation and Artificial Limb Centre and includes all hospitals, dispensaries, laboratories which are attached to or adjuncts of any of the aforementioned hospitals and the blood bank;

(6) "hostel" means a unit of residence for students, maintained or recognized by the University ;

(7) "institutions" means the King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals ;

(8) "King George's Medical College" includes all dispensaries; lecture rooms, museums, laboratories, libraries, hostels and boarding houses used in connection with or as accessories to, or adjuncts of the said College including the Dental Faculty thereof ;

(9) "Prescribed" means prescribed by the Statutes ;

(10) "registered graduate" means a graduate of the University registered in accordance with the Statutes and includes a graduate who has acquired any medical degree as a student of the King George's Medical College before the appointed date ;

(11) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means respectively the Statutes Ordinances and Regulations of the University ;

(12) "teacher" means a teacher employed by the University for imparting instruction and guiding and conducting research in the University ;

(13) "University" means the ¹[King George's Medical University] established under this Act.

CHAPTER — II

The University

Incorporation of the University

3. The Chancellor, the Vice Chancellor, and the members of the Executive Council, the Court and the Academic Council for the time being holding office as such in the University shall constitute a body corporate by the name of ¹[King George's Medical University].

Transfer of King George's Medical College etc. from Lucknow University to the University

4. On and from the appointed date —

(a) the control and management of the institutions which were transferred by executive order with effect from March 1, 1921, from the State Government to the Lucknow University, together with the control and management of all properties and assets pertaining thereto which were in existence at the time of the said transfer, together with any accretions and accessories thereto, shall stand transferred from Lucknow University and vest in the University ;

(b) all properties and assets pertaining to the said institutions, whether acquired or created out of grants from the State Government

[1. Sub. by sec 2 of U. P. Act no. 6 of 2013.](#)

or otherwise, including any cash balances held by the Lucknow University in the names of the institutions or on their account, whether in deposit, with any bank or otherwise, shall stand transferred from the Lucknow University to and vest in, the University ;

(c) subject to the provisions of section 5, all rights, powers and privileges, duties, debts, liabilities and obligations of the Lucknow University, contractual or otherwise, arising or accrued or incurred in relation to the affairs of any of the institutions shall stand transferred to the University ;

(d) any doubt or difference in regard to whether any asset or liability stands transferred under the foregoing clauses shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final;

(e) all references in any will, deed or other documents, whether made or executed before or after the appointed date, which contains any bequest, gift, endowment or trust in favour of the Lucknow University for the purposes of any of the institutions, shall be construed as if the ¹[King George's Medical University] was therein named instead of the Lucknow University.

Utilization of assets etc.

5. The properties, assets and rights transferred to the University by virtue of section 4, shall continue to be utilized for the purposes for which they were being utilized or were intended to be utilized immediately before the appointed date.

Transfer of King George's Medical College to the University

6. Notwithstanding anything contained in the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 and the statutes made thereunder, —

(a) the King George's Medical College shall with effect from the appointed date cease to be a constituent college of the Lucknow University and shall stand upgraded and be transferred to the University.

(b) any student of the King George's Medical College who immediately prior to the appointed date was studying for any examinations of the Lucknow University shall continue his studies as a student of the University and be permitted to complete his courses in preparation therefor and be admitted to the examinations of the University.

First appointments of Vice Chancellor and Staff

7. (1) The person holding office as Principal of the King George's Medical College immediately before the appointed date shall on abolition of the post of Principal with effect from that date, stand appointed as Vice-Chancellor until a regular appointment is made to the post by the Chancellor in accordance with this Act.

(2) ²[The Chief Superintendent of Hospitals] may be appointed by the Vice-Chancellor from among professors of the University.

[1. Sub. by sec. 2 of U. P. Act no. 6 of 2013.](#)

[2. Sub. by sec. 2 of U. P. Act no. 4 of 2004.](#)

(3) The senior-most professor of the University, excluding the Dental Faculty, shall be the Dean of the Medical Faculty and shall hold office for a period of three years, and the post shall thereafter be rotated in accordance with seniority.

(4) The person holding office as Dean of the Dental Faculty immediately before the appointed date shall continue to hold office until the expiry of his term in accordance with the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, and thereafter the office shall rotate in order of seniority every three years.

**Interim
Executive
Council**

8. Until the constitution of the new Executive Council for the University in accordance with the provisions of this Act, an interim Executive Council consisting of the following members, shall discharge the duties of the Executive Council :—

- (a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman thereof ;
- (b) 1[* * * *] 1[The Pro-Vice Chancellor, if any]
- (c) The Deans of Faculties ;
- (d) two senior most Professors of the University (other than Deans) ;
- (e) the Senior Judge, Lucknow Bench of the High Court or another Judge of that Bench deputed by him for any meeting ;
- (f) the Director General, Medical Education, Uttar Pradesh ;
- (g) the Principal of a State Medical College, nominated by the Chancellor ;
- (h) the Director, Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow ;
- (i) the Director, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, or a Professor of that institute deputed by him to attend any meeting ;
- (j) two retired Principals and two retired Professors of King George's Medical College as it stood before the appointed date, nominated by the Chancellor ;
- (k) one eminent person of national or international repute from the medical profession nominated by the Chancellor.

**Transfer of
teacher etc.**

9. Every teacher or other servant of the Lucknow University duly appointed in connection with the affairs of the institutions and serving the institutions as such immediately before the appointed date shall, unless within ninety days from the appointed date he gives notice in writing to the University of his intention not to become an employee of the University, become teacher or other servant of the University and shall hold his office by the same tenure and upon the

same terms and conditions and with the same rights as to retirement benefits or other matters as he would have held under the Lucknow University if this Act had not been passed and shall continue to do so until his employment under the University is duly terminated or until those terms and conditions are duly altered in accordance with this Act or statutes made thereunder.

**Objects of
the
University**

10. The objects of the University shall be —

¹[(a) to disseminate and advance knowledge in medicine dentistry, nursing, para-medical and such other disciplines as may be prescribed from time to time and to ensure efficient and systematic instructions, teaching, training and research therein] ;

(b) to provide for a multipurpose super-specialty hospital and trauma center by upgrading the existing institutions and to establish them as a center of excellence ;

(c) to treat patients in its hospitals ;

(d) to develop a nursing training center ;

(e) to administer, manage and control the hospitals, including the Rehabilitation and Artificial Limb Centre, pathological laboratories, diagnostic centers and blood banks ;

(f) to establish a tele-medicine departments ;

(g) to develop a reproductive and population control research institute ;

(h) to develop a genetics departments ;

(i) to develop an environment and pollution control institute ;

(j) to develop transfusion medicine ;

(k) to develop a nutrition research center ;

(l) to develop gene-therapy, molecular biology, robotic surgery, bioinformatics, organs transplantation, bio-technology, immunology and clinical epidemiology and other state-of-the-art facilities in medicine and dentistry ; and

(m) to establish a center for imparting training to teachers.

**Powers and
duties of the
University**

11. The University shall have the following powers and duties, namely :—

²[(i) to institute teaching and training in such branches of medicine, dentistry, nursing, para-medical and other disciplines as the University may think fit, and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge in those branches ;]

(ii) to institute and award degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions ;

(iii) to admit students to the various courses of study of the University and to conduct examinations or tests and lay down conditions in respect thereof ;

1. [Subs. by sec. 3 of U.P. Act no. 2 of 2019.](#)

2. [Subs. by sec. 4 of U.P. Act no. 2 of 2019.](#)

(iv) to hold examinations for and to grant and confer degrees, diplomas and other academic distinctions to and on persons, who —

(a) have pursued a course of study in the University, or

(b) have carried on research in the University ;

(v) to confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner and under conditions laid down in the Statutes ;

(vi) to grant such diplomas to and to provide such lectures and instructions for persons, not being students of the University, as the University may determine ;

(vii) to co-operate or collaborate with other Universities and authorities in such manner and for such purposes, as the University may determine ;

(viii) to institute and award scholarships, fellowships (including travelling fellowship), studentships, stipend, medals and prizes in accordance with the Statutes and Ordinances ;

(ix) to recognize for the purposes of admission to a course of study for a degree or diploma, as equivalent to its own degree any degree or diploma conferred by any other university or, as equivalent to the Intermediate examinations of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, any examination conducted by any other university or authority ;

(x) to establish, maintain and administer institutes of research, hospitals, laboratories, libraries, or other things necessary to carry out the objects of the University ;

(xi) to establish, maintain and administer hostels and to recognize places of residence for students of the University ;

(xii) to fix and collect fees and other charges in accordance with the Ordinances ;

(xiii) to supervise and control the residents and to regulate the discipline of students of the University the institutes and to make arrangements for promoting their health ;

(xiv) to create teaching, administrative, ministerial and other necessary posts required by the University and to make appointments thereto ;

(xv) to undertake publications of works of merit and research, ;

(xvi) to provide for management and treatment of the patients in its hospitals ;

(xvii) to do all such acts and things, whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be required in order to further the objects of the University;

¹ [* * *]

**University
open to all
classes and
creeds**

12. The University shall be open to all persons irrespective of race, class, creed or sex :

Provided that the University may, —

(i) restrict the eligibility of admission to the courses of study of the University ;

(ii) make reservations in favour of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, girl students and other categories in accordance with any law or orders of the State Government for the time being in force.

Inspection and Inquiry

Visitation

13. (1) The State Government shall have the right to cause an inspection to be made by such person or persons as it may direct, of the University including its buildings, libraries, laboratories, workshops and equipment and also of the examinations teaching and all other works conducted or done by the University or to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the University of the same through the Registrar, and any person nominated by the Executive Council may be present at such inspection or inquiry as representative of the University and he shall have the right to be heard as such :

Provided that no person shall appear, plead or act as legal practitioner on the behalf of the University at such inspection or inquiry.

(3) The person or persons appointed to inspect or inquire under sub-section (1) shall have all the powers of a civil court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purposes of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and compelling production of documents and material objects, and shall be deemed to be a civil court within the meaning of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973, and the proceedings before him or them shall deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code.

(4) The State Government shall address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry and the Vice-Chancellor shall communicate to the Executive Council the views of the State Government with such advice as the State Government may offer upon the action to be taken thereon.

1. [Omit. by Schedule of U.P. Act No. 42 of 2018.](#)

(5) The Vice-Chancellor shall then, within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken or proposed to be taken by the Executive Council.

(6) If the University authorities do not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the State Government the State Government may after considering any explanation which the University authorities may furnish issue such directions as it may think fit, and the University authorities shall be bound to comply with such directions.

(7) The State Government shall send to the Chancellor a copy of every report of an inspection or inquiry caused to be made under sub-section (1) and of every communication received from the Vice-Chancellor under sub-section (5) and of every direction issued under sub-section (b) and also of every report or information received in respect of compliance or non-compliance with such directions.

CHAPTER — III

Officers of the University

Officers of the University

14. The following shall be the officers of the University —

- (a) the Chancellor ;
- (b) the Vice-Chancellor ;
- (c) [* * * *] [The Pro-Vice Chancellor]
- (d) the Finance Officer ;
- (e) the Registrar ;
- (f) the Controller of examination, if any,
- (g) the Deans of the Faculties ;
- (h) the Dean of the Students Welfare ;
- (i) such other officers as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

The Chancellor

15. (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall in virtue of his office be the Head of the University and the President of the Court and shall when present, preside at meetings of the Court, and at any convocation of the University.

(2) Every proposal for the conferment of any honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University, as the Chancellor may call for.

1. [Omit. by sec. 4 of U. P. Act no. 4 of 2004](#) and [Ins. by sec. 5 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

The Vice-Chancellor

16. (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University and shall be appointed by the Chancellor, except as provided by sub-section (5) or sub-section (10), from amongst the persons whose names are submitted to him by the Committee constituted in accordance with the provisions of sub-section (2).

(2) The Committee referred to in sub-section (1) shall consist of the following members, namely :—

(a) one person (not being a person connected with the University, or hostel) to be elected by the Executive Council at least three months before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of his term.

(b) one person who is or has been a Judge of the High Court of Judicature at Allahabad, including the Chief Justice thereof, nominated by the said Chief Justice ; and

(c) one person to be nominated by the Chancellor who shall also be the convener of the Committee :

Provided that where the Executive Council fails to elect any person in accordance with clause (a), then the Chancellor shall nominate in addition to the person nominated by him under clause (c), one person in lieu of the representative of the Executive Council.

(3) The Committee, shall as far as may be, at least sixty days before the date on which a vacancy in the office of the Vice-Chancellor is due to occur by reason of expiry of term or resignation under sub-section (7), and also whenever so required and before such date as may be specified by the Chancellor submit to the Chancellor the names of not less than three and not more than five persons suitable to hold the office of the Vice-Chancellor. The Committee shall, while submitting the names, also forward to the Chancellor a concise statement showing the academic qualifications and other distinctions of each of the persons so recommended but shall not indicate any order of preference.

(4) Where the Chancellor does not consider any one or more of persons recommended by the Committee to be suitable for appointment as Vice-Chancellor or if one or more of the persons recommended is or are not available for appointment and the choice of the Chancellor is restricted to less than three persons, he may require the Committee to submit a list of fresh names in accordance with sub-section (3).

(5) If the committee in the case referred to in sub-section (3) or sub-section (4) fails or is unable to suggest any names within the time specified by the Chancellor, or if the Chancellor does not consider any one or more of the fresh names recommended by the Committee to be

suitable for appointment as Vice-Chancellor another Committee consisting of three persons of academic eminence shall be constituted by the Chancellor which shall submit the names in accordance with sub-section (3).

(6) No act or proceeding of the Committee shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or vacancies among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found not to have been entitled to do so.

¹[(7) (a) Only such person shall be eligible for the appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of 68 years, whichever is earlier;

(c) The Vice-Chancellor, who has not attained the age of 65 years, may be appointed as such for second term :

Provided that the Vice-Chancellor may by writing under his hand addressed to the Chancellor resign his office and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation.]

(8) Subject to the provisions of this Act, the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be determined by the State Government by general or special order in that behalf.

(9) The Vice-Chancellor shall not be entitled to the benefit of any pension, insurance or provident fund in respect of his service as Vice-Chancellor.

(10) In any of the following circumstances (of the existence of which the Chancellor shall be the sole judge), the Chancellor may appoint any suitable person to the office of Vice-Chancellor for a term not exceeding six months as he may specify :-

(a) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs or is likely to occur by reason of leave or any other cause, not being resignation or expiry of term, of which a report shall forthwith be made by the Registrar to the Chancellor ;

(b) where a vacancy in the office of Vice-Chancellor occurs and it cannot be conveniently and expeditiously filled in accordance with the provisions of sub-sections (1) to (5) ;

(c) any other emergency ;

Provided that the Chancellor may, from time to time, extend the

1. [Subs. by sec. 3 of U. P. Act no. 31 of 2007.](#)

term of appointment of any person to the office of Vice-Chancellor under this sub-section, so however, that the total term of such appointment (including the term fixed in the original order) does not exceed one year.

¹[(11) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (5) or sub-section (10) assumes office, the Pro-Vice-Chancellor if any; or where there is no Vice-Chancellor the senior most Professor of the University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.]

(12) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him, or if it otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor.

(13) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (12) the Chancellor may order that till further orders,—

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled under sub-section (8) ;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

**Powers and
duties of the
Vice-
Chancellor**

17. (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall,—

(a) exercise general supervision and control over the affairs of the University ;

(b) give effect to the decisions of the authorities of the University ;

(c) in the absence of the Chancellor, preside at meetings of the Court and at any convocation of the University ;

(d) be responsible for the maintenance of discipline in the University including the prohibition of any violent or indecent ragging of fresh students by their seniors ;

(e) be responsible for holding and conducting the University examinations properly and at due times and for ensuring that the results of such examinations are published expeditiously and that the academic session of the University starts and ends on proper dates.

(2) He shall be an *ex-officio* member and Chairman of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee.

1. [Ins. by sec. 6 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the meeting of any other authority or body of the University but shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to ensure the faithful observance of the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances and he shall, without prejudice to the power of the Chancellor under sections 15 and 53 possess all such powers as may be necessary in that behalf.

(5) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened meetings of the Executive Council, the Court the Academic Council and the Finance Committee :

Provided that he may delegate this power to any other officer of the University.

(6) Where any matter other than the appointment of teacher of the University is of urgent nature requiring immediate action and the same could not be immediately dealt with by any officer or the authority or other body of the University empowered by or under this Act to deal with it the Vice-Chancellor may take such action as he may deem fit and shall forthwith report the action taken by him to the Chancellor and also to the officer, authority, or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter :

Provided that no such action shall be taken by the Vice-Chancellor without the previous approval of the Chancellor, if it would involve a deviation from the provisions of the Statutes or the Ordinances:

Provided further that if an officer, authority or other body is of opinion that such action ought not to have been taken, he or it may refer the matter to the Chancellor who may either confirm the action taken by the Vice-Chancellor or annul the same or modify it in such manner, as thinks fit and thereupon, it shall cease to have effect or, as the case may be, take effect in the modified form, so however, the such annulment or modification shall be without prejudice to the validity of anything previously, done by or under the order of the Vice-Chancellor:

Provided also that any person in the service of University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under the sub-section shall have the right to appeal against such action to the Executive Council within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon, the Executive Council may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

(7) Nothing in sub-section (6) shall be deemed to empower the Vice-Chancellor to incur any expenditure not duly authorized and provided for in the budget.

(8) Where the exercise of the power by the Vice-Chancellor under sub-section (6) involves the appointment of an officer such

appointment shall terminate on appointment being made in the prescribed manner or on the expiration of a period of six months from the date of the order of the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

(9) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers as may be laid down by the Statutes and Ordinances.

The Pro-Vice-Chancellor

¹[18. The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University.

(2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge the duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get a special allowance of such amount as may be determined by general or special orders by the State Government.

(5) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.]

The Finance Officer

19. (1) There shall be a Finance Officer for the University, who shall be appointed by the State Government by a notification, and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(2) The Finance Officer shall be responsible for presenting the budget (annual estimates) and the statement of account to the Executive Council and also for drawing and disbursing funds on behalf of the University.

(3) He shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote.

(4) The Finance Officer shall have duty —

(a) to ensure that no expenditure not authorized in the budget, is incurred by the University (otherwise than by way of investment) ;

(b) to disallow any proposed expenditure which may contravene the provisions of this Act or the terms of any Statutes or ordinances ;

(c) to ensure that no other financial irregularity is committed and to take steps to set right any irregularities pointed out during audit ;

(d) to ensure that the property and investments of the university are duly preserved and managed.

(5) The Finance Officer shall have access to and may require the production of such records and documents of the University and the furnishing of such information pertaining to its affairs as in his opinion may be necessary for the discharge of his duties.

(6) All contracts shall be entered into and signed by the Finance Officer on behalf of the University.

(7) Other power and functions of the Finance Officers shall be such as may be prescribed.

The Registrar

20. (1) The Registrar shall be a whole-time officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed by the State Government on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

1. [Omit. by sec. 6 of U. P. Act no. 4 of 2004](#) and [Ins. by sec. 7 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

(4) The Registrar shall be responsible for the due custody of the records and the common seal of the University. He shall be the *ex-officio* Secretary of the Executive Council and shall be bound to place before the Executive Council all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed or required from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(5) The Registrar shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any works in the University save such as may be provided by the regulations.

**The
Controller of
Examination**

21. (1) The Controller of Examinations shall be a whole-time officer of the University.

(2) The Controller of Examination shall be appointed by the State Government by notification and his remuneration and allowances shall be paid by the University.

(3) The Controller of Examinations shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* Secretary of the Examination Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Regulations or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section be entitled to vote.

(4) Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor, the Controller of Examination shall have administrative control over the employees working under him and have in this regard all the powers of the Registrar.

(5) Subject to the superintendence of the Examinations Committee, the Controller of Examination shall conduct the examinations and make all other arrangements therefore and be responsible for the due execution of all processes conducted therewith.

(6) The Controller of Examination shall not be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University except in accordance with an order of the State Government.

(7) Where the Controller of Examination is for any reason unable to act or the office of Controller of Examination is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of Examination resumes his duties or as the case may be, the vacancy is filled.

**Other
Officers**

22. The powers of Officers of the University other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, ¹[Pro-Vice-Chancellor] the Finance Officer, the Registrar and the Controller of Examinations, if any appointed, shall be such as may be laid down by the Statutes.

1. [Omit. by sec. 7 of U. P. Act no. 4 of 2004](#) and [Ins. by sec. 8 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

CHAPTER — IV

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

Authorities of the University

23. The following shall be the authorities of the University :—

- (a) the Executive Council ;
- (b) the Court ;
- (c) the Academic Council ;
- (d) the Finance Committee ;
- (e) the Boards of Faculties ;
- (f) the Selection Committees for appointment of teachers of the University ;
- (g) the Admissions Committee ;
- (h) the Examination Committee; and
- (i) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

Constitution of the Executive Council

24. (1) The Executive Council shall consist of the chairman and other members specified in section 8 besides four persons to be elected by members of the Court from among such of them as are not enrolled as student or in service of the University.

(2) The term of the office of the members of the Executive Council other than *ex-officio* members shall be such as may be prescribed.

(3) A person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the Executive Council if he or his relative accepts any remuneration for any work in or for the University or any contract for the supply of goods to or for the execution of any work for the University:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to the acceptance of any remuneration by a teacher as such for any duties performed in connection with an examination conducted by the University or for any duties as Superintendent or warden of a training unit or any hostel or proctor or tutor or any duties of a similar nature in relation to the University.

Explanation :— In this section, 'relative' means the relations ¹ [defined in section 2 of the Companies Act 2013 and prescribed under rule 4 of the Companies (specification of definitions details) Rules 2014, as amended from time to time includes the wife's (or husband's) brother, wife's (or husband's) father, wife's (or husband's) sister, brother's son and brother's daughter.

Power and duties of Executive Council

25. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the university and subject to the provisions of this Act, have the following powers, namely :—

1. [Subs. by sec. 9 of the U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

- (i) to hold control of the property and funds of the University ;
- (ii) to acquire or transfer any movable or immovable property on behalf of the University ;
- (iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances ;
- (iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purpose ;
- (v) to prepare the budget of the University;
- (vi) to award scholarships, fellowship, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances ;
- (vii) to appoint officers, teachers and other employees of the University and to define their duties and the conditions of their service, and to provide for the filling of temporary casual vacancies in their posts;
- (viii) to fix the fees, emoluments and travelling and other allowances of the examiners ;
- (ix) to direct the form and the use of the common seal of the University ;
- (x) to regulate and enforce discipline among members of the teaching administrative and other staff of University in accordance with the Statutes and the Ordinances ;
- (xi) to manage and regulate the finance, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for the purpose, appoint such agents as it may think fit ;
- (xii) to invest any money belonging to the University (including any income from any trust or endowed property) in such funds shares or securities as it shall from time to time think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investment from time to time ;
- (xiii) to provide the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University ;
- (xiv) to enter into vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University ;
- (xv) to regulate and determine all other matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes and the Ordinances with this Act the statutes and the ordinances.

(2) No immovable property of the University shall except with the prior sanction of the State Government be transferred (except by way of letting from month to month in the ordinary course of management) by the Executive Council by way of mortgage, sale, exchange, gift or otherwise nor shall any money be borrowed, or advance taken on the security thereof except as a condition of receipt

of any grant-in-aid of the University from the State Government, or with the previous sanction of the State Government, from any other person.

(3) No expenditure in respect of which approval of the State Government required by this Act or the Statutes or Ordinances shall be incurred except with such approval previously obtained and no post shall be created in the University except with the prior approval of the State Government or except in accordance with any general or special order of the State Government.

(4) The pay and other allowances to various categories of the employees of the University shall be such as may be approved by the State Government.

(5) The Executive Council shall not exceed the limits of recurring and non-recurring expenditure to be incurred in each financial year fixed by the Finance Committee.

(6) The Executive Council shall not take any action in regard to the number, qualifications and emoluments of teachers, and the fees payable to examiners, except after considering the advice of the Academic Council and the Boards of Faculties concerned.

(7) The Executive Council shall give due consideration to every resolution of the Court and take such action thereon as it shall deem fit report to the court the action taken or as the case may be the reasons for non-acceptance of the resolution.

(8) The Executive Council may, subject to any conditions laid down in the Statutes, delegate such of its powers as it deems fit to an officer or any other authority of the University or to a Committee appointed by it.

The Court

26. (1) The Court shall consist of the following members, namely:-

CLASS I — EX-OFFICIO MEMBERS

- (i) the Chancellor ;
- (ii) the members of the Executive Council ;
- (iii) the Finance Officer ;

CLASS II — LIFE TIME MEMBERS

(iv) such Indians who have made donations of not less than two lakhs of rupees to the University ;

(v) such non-resident Indians who have made donations of not less than ten thousand Pounds, Sterling or their equivalent in other foreign currency to the University ;

CLASS III — REPRESENTATIVES OF TEACHERS ETC.

(vi) the Deans and all other heads of the departments of the University ;

(vii) two representative of provosts and wardens of hostels of the University to be selected by rotation in the manner prescribed ;

(viii) ten teachers to be selected in the manner prescribed;

CLASS IV — REGISTERED GRADUATES

(ix) fifteen representatives of registered graduates to be elected by registered graduates of such standing as may be prescribed from amongst such of them as are not in the service of the University.

CLASS V — REPRESENTATIVES OF STUDENTS

(x) One student from each of the Faculties who having secured the highest marks in that faculty at the preceding degree examination of the University is pursuing a course of study for a post graduates medical degree in the University;

CLASS VI — REPRESENTATIVES OF THE STATE LEGISLATURE

(xi) one member of the Legislative Council to be elected by it ;

(xii) two member of the Legislative Council to be elected by it.

(2) The terms of office of the members of each class, except classes I, II and V, mentioned in sub-section (1) shall be three years and the term of the members of the said Class V shall be one year.

Powers and duties of the Court

27. The court shall be an advisory body subject to the provisions of this Act. It shall have the following powers and functions, namely :—

(a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and to suggest measures for the improvement and development of the University ;

(b) to consider and pass resolution on the annual report and the annual accounts of the University and the audit report thereon;

(c) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice ; and

(d) to perform such other duties and exercise such other functions as may be assigned to it by this Act or the Statutes or by the Chancellor.

Meeting of the court

28. (1) The Court shall meet once a year on a date to be fixed by the Vice-Chancellor and such meeting shall be called the annual meeting of the Court.

(2) The Vice-Chancellor may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition in writing signed by not less than one-fourth of the total membership of the Court, convene a special meeting of the Court.

Academic Council

29. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances,—

(a) shall have the control and general regulation of and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and research carried on or imparted in the University ;

(b) may advise the Executive Council on all academic matters including matters relating to examinations conducted by the University ; and

(c) shall have such powers and duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.

(2) The Academic council shall consist of the following members, namely :—

(i) the Vice-Chancellor ;

(ii) ¹[the Deans of the Faculties] ;

(iii) all other heads of departments of the University ;

(iv) all professors of the University who are not head of departments ;

(v) two retired principals of the King George's Medical College or State Medical Colleges to be selected in the manner prescribed ;

(vi) five teachers to be selected in the manner prescribed ;

(vii) the Dean of Students Welfare ;

(viii) the Librarian of the University ; and

(ix) five persons of the academic eminence to be co-opted in the manner prescribed.

The Finance Committee

30. (1) The Finance Committee shall consist of,—

(a) the Vice-Chancellor ;

(b) the Principal Secretary to the State Government in the Medical Education Department ;

(c) the Principal Secretary to the State Government in the Finance Department;

(d) ²[The Pro-Vice-Chancellor, if any] ;

(e) the Registrar ;

(f) the Controller of Examinations ;

(g) the Finance Officer, who shall also be the Secretary of the Committee.

(2) A member referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Finance Committee himself, depute an officer not below the rank of a Joint-Secretary to the State Government, and an officer so deputed shall also have the right to vote.

1. [Subs. by sec. 10 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

2. [Omit. by sec. 8 of U. P. Act no. 4 of 2004 and inserted by sec. 11 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

(3) The Finance Committee shall advise the Executive Council on matter relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resource of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise during the financial year the limits of expenditure so fixed and the limits fixed shall be binding on the Executive Council.

(4) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.

The Faculties

31. ¹[(1) The University shall have faculties of Medical Dentistry, Nursing, Para-medical and such other faculties as may be prescribed].

(2) Each Faculty shall comprise such departments of teaching as may be prescribed and each department shall have such subjects of study as may be assigned to it by the Ordinances.

(3) There shall be a Board of each Faculty, the constitution (including the term of office of its members) and powers and duties of which shall be such as may be prescribed.

(4) There shall be a Dean of each Faculty who shall be chosen from amongst the professors by rotation in order of seniority and shall hold office for three years.

(5) The Dean shall be the Chairman of the Board of Faculty and be responsible for,—

(a) the organization and conduct of the teaching and research work of departments comprised in the Faculty ; and

(b) the due observance of the Statutes, Ordinances and Regulations relating to the Faculty.

(6) In each department of teaching in the University, there shall be a head of department whose appointment shall be regulated by Statutes :

Provided that every person holding the office of head of department immediately before the date of commencement of this sub-section shall, subject to the provision of this Act and Statutes, continue to hold office on the same terms and conditions as he held immediately before the said date.

(7) The head of department shall be responsible to the dean for the organization of teaching in the department and have such other powers and duties as may be provided in the Ordinances.

(8) There shall be constituted in accordance with the provisions of the Ordinances, Boards of Studies in respect of different subjects of study and more than one subject may be assigned to one Board of Studies.

Admissions Committee

32. (1) There shall be an Admissions Committee of the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the Ordinances.

1. [Subs. by sec. 12 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

(2) The Admissions Committee shall have the power to appoint such number of sub-committees as it thinks fit.

(3) Subject to the superintendence of the Academic Council and to the provisions of sub-section (5), the Admissions Committee shall lay down the principles or norms governing the policy of admission for various courses of studies in the University.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5) the Committee may issue any direction as respects criteria or methods of admissions including the number of students to be admitted.

(5) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act, reservation of seats for admission in any course of study in the University, for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens may be made and regulated by such law or orders as the State Government may, by notification, make in that behalf.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sectors, admissions to the undergraduate and post-graduate classes shall, subject to any orders of the State Government, continue to be governed by the provision applicable to the King George's Medical College immediately before the appointed date.

(7) No student admitted to the University in contravention of the provisions of this section shall be permitted to take up any examination conducted by the University and the Vice-Chancellor shall have the power to cancel any admission made in such contravention.

**Examination
Committee**

33. (1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be as may be provided for in the Ordinance.

(2) The Committee shall supervise generally all the examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely :—

(a) to appoint examiners and moderators and, if unnecessary, to remove them ;

(b) to review from time to time the result of University examinations and submission of reports thereon to the Academic Council ;

(c) to make recommendations to the academic council for the improvement of the examination system ;

(d) to scrutinize the list of examiners proposed by the Board of Studies, finalize the same and declare the results of the University.

(3) The Examination Committee may appoint such number of sub-committees as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and

decide cases relating to the use of unfair means by the examinees.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examinations Committee or, as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the Examinations Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3), to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

**Other
Authorities**

34. The constitution, powers and duties of other authorities of the University shall be such as may be prescribed.

CHAPTER - V

Appointment and Conditions of Service of teachers and Officers

**Appointment
of teachers**

35. (1) Subject to the provisions of this Act, the teachers shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee in the manner hereinafter provided, the selection committee shall meet as often as necessary.

(2) The appointment of every such teacher not being an appointment under sub-section (3), shall in the first instance be on probation for one year which may be extended by the Executive Council for a period not exceeding one year :

Provided that no order of termination of service during or on the expiry of the period of probation shall be passed in the case of a teacher of the University, except by the order of the Executive Council made after considering the report of the Vice-Chancellor and (unless the teacher is himself the head of the department), the head of the department concerned :

Provided further that no such order of termination shall be passed except after notice to the teacher concerned giving him an opportunity of explanation in respect of the grounds on which his services are purposed to be terminated :

Provided also that if a notice is given before the expiry of the period of probation or the extended period probation, as the case may be, the period of probation shall stand extended until the final order of the Executive of Council under the first proviso.

(3) (a) In the case of a teacher of the University other than a ¹[Professor, Additional Professor or an Associate Professor] the Vice-Chancellor in consultation with the Dean of the Faculty and the head of the department concerned and an expert nominated by the Chancellor in that behalf may make officiating appointment in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period not exceeding ten months without reference to the selection Committee, but shall not fill any other vacancy or post likely to last for more than six months without such reference.

(b) Where before or after the commencement of this Act, any teacher is appointed (after reference to a Selection Committee) to a

1. [Subs. by sec. 13 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

temporary post likely to last for more than six months, and such post is subsequently converted into a permanent post or to a permanent post in a vacancy caused by the grant of leave to an incumbent for a period exceeding ten months and such post subsequently becomes permanently vacant or any post of same cadre and grade is newly created or falls vacant in the same department, then unless the Executive Council decides to terminate his services after giving an opportunity to show cause, it may appoint such teacher in a substantive capacity to that post without reference to a Selection Committee :

Provided that this clause shall not apply unless the teacher concerned holds the prescribed qualifications for the post at the time of such substantive appointment, as he has served continuously, for a period of not less than one year after his appointment made after reference to a selection committee :

Provided further that appointment in a substantive capacity under this clause of a teacher who had served, before such appointment, continuously for a period of less than two years, shall be on probation for one year which may be extended for a period not exceeding one year, and the provisions of sub-section (2) shall apply accordingly.

(4) The Selection Committee for the appointment of a teacher shall consist of —

- (i) The Vice-Chancellor who shall be the Chairman thereof ;
- (ii) The Head of the Department concerned :

Provided that the Head of the Department shall not sit in the Selection Committee, when he is himself a candidate for appointment or when the post concerned is of a higher rank than his substantive post and in that event his office shall be filled by the senior most Professor in the Department and if there is no Professor, by the Dean of the Faculty :

Provided further that where the Chancellor is satisfied that in the special circumstances of the case, a Selection Committee cannot be constituted in accordance with the preceding proviso, he may direct the constitution of the Selection Committee in such manner as he thinks fit.

(iii) In the case of a ¹[Professor or an Additional Professor or Associate Professor] three experts and in any other case two experts to be nominated by the Chancellor ;

(5) (a) A panel of six or more experts in each subject of study shall be drawn up by the Chancellor after consulting the corresponding Faculty in Indian Universities or such academic bodies or research institutions in or outside Uttar Pradesh as the Chancellor may consider necessary. Every expert to be nominated by the

1. [Subs. by sec. 13 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

Chancellor under sub-section (4) shall be a person whose name is borne on such panel.

(b) A panel referred to in clause (a) shall be revised after every three years.

Explanation I — For the purpose of this sub-section, a branch of subject in which a separate course of study is prescribed for a post graduate degree shall be deemed to be a separate subject of study.

Explanation II — Where the post of teacher to be selected is common to more than one subject of study, the expert may belong to either of such subjects of study.

(c) The Chancellor may intimate in a specified order, a large number of names of experts than required under sub-section (4) for serving as his nominees on the Selection Committee. In such case, on any person whose name appears higher in the specified order not being available for a meeting of the Selection Committee a person whose name appears nearest lower in the specified order shall be requested to serve on the Committee.

(6) No recommendation made by a Selection Committee referred to in sub-section (4) shall be considered to be valid unless one of the experts has agreed to such selection.

(7) Subject to the provisions of sub-section (6), the majority of the total membership of any Selection Committee shall form the quorum of such Committee :

Provided that in the case of a ¹[Professor or Additional Professor, an Associate Professor] the persons present to form the quorum must include at least two experts.

(8) It shall be open to the Selection Committee to recommend one or more but not more than three names for each post.

(9) In the case of appointment of a teacher, if the Executive Council does not agree with the recommendation made by the Selection Committee, the Executive Council shall refer the matter to the Chancellor along with the reasons of such disagreement, and his decision shall be final :

Provided that if the Executive Council does not take a decision on the recommendations of the Selection Committee within a period of four months from the date of the meeting of such Committee, then also that matter shall stand referred to the Chancellor, and his decision shall be final.

(10) The disqualification of members of Selection Committee for appointment of teachers on the ground of interest for participating in the deliberations of such Committees and other matters relating to appointment of such teachers shall be prescribed by the Statutes.

(11) No selection for any appointment under this section shall be made except after advertisement of the vacancy in at least three

1. [Subs. by sec. 13 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

issues of two newspapers having adequate circulation in Uttar Pradesh.

Promotion to the Post of Associate Professor and Professor

36. ¹[(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, an Assistant Professor substantively appointed or an Associate Professor or an Additional Professor substantively appointed or promoted under this section in the University, who has put in such length of service and possesses such qualifications as may be prescribed, may be given personal promotion respectively to the post of Associate Professor or Additional Professor or Professor].

(2) The promotion under sub-section (1) shall be given on the recommendation of the Selection Committee, constituted under sub-section (4) of Section 35, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Contract of appointment of teachers of the University

37. (1) Except as otherwise provided by Statutes, no salaried officer and teacher of the University shall be appointed except under a written contract which shall be consistent with the provisions of this Act, the Statutes and Ordinances.

(2) The original contract shall be lodged with the Registrar and a copy thereof shall be furnished to the officer or teacher concerned.

(3) Notwithstanding anything contained in any contract or other instrument no teacher of the University shall have right of private practice except to such extent if any, and subject to such conditions and restrictions as the State Government may, by general or special order specify.

Pensions, Provident Fund etc.

38. The University shall constitute, for the benefit of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be specified by general or special order by the State Government such pension, insurance or provident fund, as it may deem fit including a fund from which such teachers or their heirs, as the case may be, shall be paid pension or gratuity in the event of their incurring disability, wound or death in connection with the discharge of their duties as Superintendent of a Centre or invigilator as defined in Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct of Examinations) Act, 1965.

Limits of additional remunerative work permissible to teachers.

39. (1) The conditions regarding payment of remuneration to the teachers for any duties performed in connection with any examination conducted by an Indian University or anybody other than Public Service Commission shall be such as may be prescribed.

(2) No teacher shall at any time, hold more than one remunerative office carrying duties other than teaching or duties connected with examination.

Explanation — The words 'remunerative offices' include the offices of Warden or Superintendent of a hostel, Proctor, Games Superintendent and Librarian.

1. [Subs. by sec. 14 of U.P. Act No. 2 of 2019.](#)

Tribunal of Arbitration

40. (1) Any dispute arising out of a contract of appointment referred to in section 37 shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Executive Council, one member nominated by the officer or teacher concerned and one member (who shall act as convener) nominated by the Chancellor.

(2) If for any reason, a vacancy occurs in the office of a member of the Tribunal, the appropriate person or body concerned shall nominate another person in accordance with provisions of sub-section (1) to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the Tribunal from the stage at which the vacancy is filled.

(3) The decision of the Tribunal shall be final and binding on the parties and shall not be questioned in any court.

(4) The tribunal of Arbitration shall have the powers —

(a) To regulate its own procedure ;

(b) To order re-instatement of the officer or teacher concerned ;
and

(c) To award salary to the officer or teacher concerned, after deducting there from such income which such officer or teacher might have otherwise derived during his suspension, removal, dismissal or termination from service.

(5) Nothing contained in any law for the time being in force relating to arbitration shall apply to an arbitration under this section.

(6) No suit or proceedings shall lie in any court in respect of any matter which is required by sub-section (1) to be referred to the Tribunal of Arbitration :

Provided that every decision of the Tribunal referred to in sub-section (3) shall be executable by the lowest court having territorial jurisdiction, as if it were a decree of that court.

CHAPTER — VI

Statutes, Ordinances And Regulations

Statutes

41. Subject to the provisions of this act, the Statutes may provide for any matter relating to the University and shall in particular, provide for —

(a) The constitution, power and duties of the authorities of the University ;

(b) The election, appointment and term of office of the members of the authorities of the University, including the continuance in office of the first members, and the filling in of vacancies in their membership and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary to provide ;

(c) The powers and duties of the officers of the University ;

(d) The classification and recruitment (including minimum qualification and experience) of teachers of the University, the maintenance by them of their annual academic progress report, the rules of conduct to be observed by them and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement).

(e) The recruitment (including minimum qualifications and experience) and their emoluments and other conditions of service (including provisions relating to compulsory retirement) of persons appointed to other posts under the University ;

(f) The constitution of a pension or provident fund or the establishment of an insurance-scheme for the benefit of officers, teachers and other employees of the University ;

(g) The institution of degrees and diplomas ;

(h) The conferment of honorary degrees ;

(i) The withdrawal of degrees and diplomas, certificates and other academic distinctions ;

(j) The establishment, amalgamation, abolition and reorganization of Faculties ;

(k) The establishment of departments of teaching in the Faculties;

(l) The establishment, abolition and reorganization of hostels maintained by the University ;

(m) The number, minimum qualification and experience, the emoluments and other conditions of service, including the age of retirement and provisions relating to compulsory retirement of salaried employees (not being teachers) of the University and the preparation and maintenance of record of their service ;

(n) The institution of scholarships, fellowships, studentships, medals and prizes ;

(o) The qualifications, conditions and manner of registration of graduates and the maintenance of a register of registered graduates ;

(p) The holding of convocation, if any ; and

(q) All other matters which by this Act are to be or may be provided for by the Statutes.

Statutes how made

42. (1) The first Statutes of the University shall be made by the State Government, by notification, provided that for so long as the First Statutes are not so made, the Statutes of the Lucknow University as in force immediately before the appointed date in so far as they are not so inconsistent with the provisions of this Act, shall, subject to such adaptations and modifications whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient, as the State

Government may, by notification provide, continue in force, and any such adaptation or modification shall not be called in question.

(2) The executive Council may make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1).

(3) The Executive Council shall not propose the draft of any Statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing its opinion upon the proposal and any opinion so expressed shall be in writing and shall be submitted to the Chancellor.

(4) Every new Statute or addition to a Statute or any amendment or repeal of Statute shall be submitted to the Chancellor who may assent to it or withhold his assent there from or remit it to the Executive Council for further consideration.

(5) A Statute passed by the executive Council shall have effect from the date it is assented to by the Chancellor or from such later date as may be specified by him.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the State Government may in order to implement any decision taken by it in the interest of learning, teaching or research or for the benefit of teachers, students or other staff or on the basis of any suggestion or recommendation of the University Grants Commission or the State or National Education Policy with regard to the qualifications of the teachers, require the Executive Council to make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1) within a specified time and if the Executive Council fails to comply with such requirement of the State Government may, with the assent of the Chancellor, make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1).

(7) The Executive Council shall have no power to amend or repeal the Statutes made by the State Government under sub-section (6) or to make new or additional Statutes inconsistent with such Statutes.

Ordinances

43. (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes the Ordinances may provide for any matter which by this Act or the Statutes is to be or may be provided for by the Ordinances.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the Ordinance shall provide for the following matters, namely—

(a) The admission of students to the University and their enrolment and continuance as such ;

(b) The courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and other academic distinctions of the University ;

(c) The conditions under which students shall be admitted to

the examinations, degrees and diplomas of the University and shall be eligible for the award of such degrees and diplomas ;

(d) The conditions of award of scholarships, fellowships, studentships, bursaries, medals and prizes ;

(e) The conditions of residence of students at the University and the management of hostels maintained by the University ;

(f) The recognition and management of hostels not maintained by the university.

(g) The maintenance of discipline among the students of the University and the punishment including suspension, expulsion or restrictions for breach of discipline of for any violent or indecent ragging of fresh students by their seniors ;

(h) The fees which may be charged by the University ;

(i) The conditions and mode of appointment and the duties of examining bodies, examiners, moderators, invigilators and tabulators ;

(j) The conduct of examinations ;

(k) The remuneration and allowances including travelling and daily allowances to be paid to persons employed on the business of the University ;

(l) All other matters which by this Act or the Statutes are to be or may be provided for by the Ordinances.

**Ordinances
how made**

44. (1) The first Ordinances of University shall be the Ordinance of the Lucknow University as in force immediately before the appointed date insofar as they are not inconsistent with the provisions of this Act :

Provided that for the purpose of bringing the provisions of any such Ordinances into accord with the provisions of this act and the Statutes, the Chancellor may by order made such adaptations and modifications of the Ordinances whether by way of repeal, amendment or addition as may be necessary or expedient and provide that the Ordinances shall as from such date as may be specified in the order have effect subject to the adaptations or modifications so made and any such adaption or modification shall not be called in question.

(2) Save as otherwise provided in this section, the Executive Council may, from time to time, make new or additional Ordinances or may amend or repeal the Ordinances referred to in sub-section (1) :

Provided that no Ordinance shall be made,—

(a) affecting the admission of student, or prescribing examinations to be recognized as equivalent to the University examinations or the further qualifications mentioned in sub-section (1) of section 45 for admission to the degree courses of the University, unless a draft of the same has been proposed by the Academic council ; or

(b) affecting the conditions and mode of appointment and duties of examiners and the conduct or standard of examinations or any course of study except in accordance with a proposal of the Faculty concerned and unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council ; or

(c) affecting the number, qualifications and emoluments of teachers of the University or the income or expenditure of the University, unless a draft of the same has been approved by the State Government.

(3) The Executive Council shall not have power to amend any draft proposed by the Academic Council under sub-section (3) but may reject it or return to the Academic Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendments, which the Executive Council may suggest.

(4) All ordinances made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct and shall be submitted as soon as may be to the Chancellor.

(5) The Chancellor may at any time signify to the Executive Council his disallowance of such Ordinances other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (2) and from the date of receipt by the Executive Council of intimation of such disallowance, such Ordinance shall become void.

(6) The Chancellor may direct that the operation of any ordinance other than those referred to in clause (c) of the proviso to sub-section (2) shall be suspended until he has an opportunity of exercising his power of disallowance. An order of suspension under this sub-section shall cease to have effect on the expiration of one month from date of such order.

Regulations

45. (1) Subject to the provisions of this Act, the statutes and the Ordinances, an authority or other body of the University may make Regulations —

(a) laying down the procedure to be followed at its meeting and the number of members required to form the quorum ;

(b) providing for all matters which by this Act, the Statutes or the Ordinances are to be provided by Regulations ; and

(c) providing for any other matter solely concerning such authority or body and not provided for by this Act, the Statutes and the Ordinance.

(2) The regulations made by any authority or other body of the University shall provide for the giving of notice to its members of the dates of meetings and the business to be transacted thereat and for keeping of record of the proceedings of such meetings.

(3) The Executive Council may direct any authority or other body of the University other than the Court to cancel or to amend in

such form as may be specified in the direction, any Regulation made by such authority or body and such authority or body shall thereupon cancel or amend the Regulation accordingly.

(4) The Academic Council may, subject to the provisions of the Ordinances, make Regulations providing for the course of study for any examination, degree or diploma of the University only after the Board of Faculty concerned has proposed a draft of the same.

(5) The Academic Council shall not have power to amend or reject any draft purposed by the Board of Faculty under sub-section (4), but may return it to the Board for further consideration together with its own suggestions.

(6) Until any Regulations are made under this section, the relevant Regulations of the Lucknow University as in fore immediately before the appointed date shall continue to be in force.

CHAPTER — VII

Annual Reports And Accounts

Annual Report

46. (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Court a month before its annual meeting and the Court shall consider it in its annual meeting.

(2) The Court may by resolution make recommendations on such report and communicate the same to the Executive Council which may take such action thereon as it thinks fit.

Accounts and Audit

47. (1) The annual accounts and balance-sheet of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and all accruing by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts maintained by the University.

(2) A copy of the annual accounts and the balance-sheet shall be submitted to the State Government which shall cause the same to be audited.

(3) The annual accounts and the balance-sheet audited shall be printed and copies thereof shall together with copies of the audit report be submitted by the Executive Council to the Court and the State Government.

(4) The Executive Council shall also prepare, before such date as may be prescribed, the budget for the ensuing year.

(5) Every item of new expenditure above such amount as may be prescribed which is proposed to be included in the budget shall be referred by the Executive Council to the Finance Committee, which may make recommendations thereon.

(6) The Executive Council shall, after considering the recommendations, if any, of the Finance Committee approve the budget finally.

(7) The annual accounts, the balance-sheet and the audit report shall be considered by the court at its annual meetings, and the Court may, by resolution make recommendations with reference thereto and communicate the same to the Executive Council.

(8) It shall not be lawful for the Vice-Chancellor or the Executive Council to incur any expenditure —

(a) either not sanctioned in the budget or in the case of funds granted to the University, subsequent to the sanction of the budget, by the State Government or the Government of India or the University Grants Commission or any international organization or Foundation, save in accordance with the terms of such grant :

Provided that notwithstanding anything in sub-section (7) of section 17, the Vice-Chancellor may, in the case of fire, flood, excessive rainfall or other sudden or unforeseen circumstances, incur non-recurring expenditure not exceeding rupees fifty thousand not sanctioned in the budget and he shall immediately inform the State Government in respect of all such expenditure ;

(b) on any litigation in opposition to any order of the Chancellor or of the State Government purporting to be made under this Act.

Surcharge

48. (1) An officer specified in any of the clauses (b) to (i) of section 14 shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the University, if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct.

(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or misapplication shall be such as may be prescribed.

CHAPTER — VIII

Miscellaneous

**Manner of
appointment
of officers
and members
of authorities**

49. (1) Except as expressly provided by this Act or the Statutes, officer of the University and members of authorities of the University shall so far as may be, be chosen by methods other than election.

(2) Where a provision is made in this Act or the Statutes for any appointment by rotation or according to seniority or other qualification, the manner of rotation and determination of seniority and other qualifications shall be such as may be prescribed.

(3) Where a provision for an election is made in this Act, such election shall be conducted according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and where provisions for an election is made in the Statutes, it shall be held in such manner as the Statutes may provide.

(4) Except as expressly provided by this Act, no officer or employee of the University shall be eligible to seek election to any authority or other body of the University.

**Filling of
casual
vacancies**

50. (1) Any casual vacancy among the members, other than *ex-officio* members, of any authority or body of the University shall be filled in the same manner in which the members whose vacancy is to be filled up was chosen, and the person filling the vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

(2) A person who is a member of any authority of the University as a representative of another body, whether of the University or outside, shall retain his seat on such authority for only so long as he continues to be the representative of such body.

**Proceeding
not to be
invalidated
by vacancies,
etc.**

51. No act or proceeding, of any authority or body or committee or the University, shall be invalid merely by reason of, —

(a) any vacancy or defect in the constitution thereof; or

(b) some person, having taken part in the proceedings who was not entitled to do so ; or

(c) any defect in the election, nomination or appointment of a person acting as member thereof ; or

(d) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

**Removal
from
membership
of the
University**

52. The court may, by a two-third majority of the members present and voting remove any person from membership of any authority or other body of the University upon the ground that such person has been convicted of any offence which in the opinion of the Court, is an offence involving moral turpitude or upon the ground that he has been guilty of scandalous conduct or had behaved in a manner unbecoming of a member of the University and may upon the same ground withdraw from any person any degree, or certificate conferred or granted by the University.

**Reference to
the
Chancellor**

53. If any question arises whether any person has been duly elected or appointed as, or is entitled to be a member of any authority or other body of the University (including any question as to the validity of a Statute, Ordinance or Regulation, not being a Statute or Ordinance made or approved by the State Government or by the Chancellor) is in conformity with this Act or the Statutes or the Ordinance made thereunder, the matter shall be referred to the Chancellor, and the decision of the Chancellor thereon shall be final :

Provided that no reference under this section shall be made,—

(a) more than three months after the date when the question could have been raised for the first time ;

(b) by any person other than an authority or officer of the University or a person aggrieved :

Provided further that the Chancellor may in exceptional circumstances,—

(a) act *suo-motu* or entertain a reference after the expiry of the period mentioned in the preceding proviso ;

(b) where the matter referred relates to a dispute about the election and the eligibility of the persons so elected is in doubt, pass such orders of stay as he thinks just and expedient.

**Mode of proof
of University
record**

54. (1) A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding or resolution of any authority or committee of the University or other documents in possession of the University or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar shall be received as *prima-facie* evidence of such receipt, application, notice, order, proceedings, resolution or document or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein recorded where the original thereof would if produced have been admissible in evidence.

(2) No officer or servant of the University shall in any proceeding to which the University is not a party, be required to produce any document register or other record of the University the contents of which can be proved under sub-section (1) by a certified copy, or to appear as a witness to prove the matters and transactions recorded therein unless by order of the court made for special cause.

CHAPTER — IX

Transitory Provision

**Constitution
of authority**

55. (1) Every authority of the University shall, as soon as may be after the commencement of this Act, be constituted in accordance with the provisions of this Act.

(2) Until any authority of the University is constituted under sub-section (1), the State Government may, by order, direct by whom and in what manner the powers, duties and functions exercisable or dischargeable under this Act by any authority of University other than the executive Council shall exercised or discharged.

56. Notwithstanding the transfer of the institutions from the Lucknow University to the University,—

(a) all appointment made, orders issued degrees or diplomas conferred or certificates issued, privileges granted or other things done (including registration of graduates) under any such enactment, shall be deemed to have been respectively made, issued, conferred granted or done under the corresponding provisions of this Act, and except as otherwise provided by or under this Act continue in force unless and until they are superseded by any order made under this Act ;

(b) all proceedings of Selection committee for appointment of teachers of King George's Medical College which took place before the commencement of this Act and all actions by the Executive Council of the Lucknow University in respect of the recommendations of such Selection Committee, where no orders of appointment on the basis

thereof were passed before the commencement of this Act, shall be deemed to have been valid, but further proceedings in connection with such pending selections shall be taken in accordance with the provisions of this act and be continued from the stage where they stood immediately before such commencement ;

(c) until fresh panels of experts are drawn up under sub-section (5) section 35, the Chancellor, may nominate experts to Selection Committee under that section from out of the panels in existence immediately before the commencement of this Act :

Provided that the provisions of Explanations I and II to the sub-section (5) of said sections shall apply also to the panels of experts referred to in this clause and to nominations made from such panels under this clause ;

(d) until a Finance Officer is appointed in the University, the functions of the Finance Officer under this Act shall be performed by the Finance officer of the King George's Medical college ;

(e) until a Registrar is appointed in the University, the functions of the Registrar under this Act shall be performed by a teacher of the University nominated by the Vice-Chancellor.

**Power to
remove
difficulties**

57. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission as it may deem necessary or expedient :

Provided that no such order shall be made after form the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both the Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

(3) No order made under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in that sub-section existed or was required to be removed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to providing proper treatment to the patients suffering from various diseases and developing a center of excellence in the field of medical science in addition to the Sanjaya Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences in the State, it has been decided to make a law to provide for the establishment of a Medical University by the name of Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University by transfer of the King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals from the University of Lucknow to the said Medical University.

The Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj University Bill, 2002 is introduced accordingly.

NO. 386 (2)/VII-V-1—1(KA)-2-2004

Dated Lucknow, February 27, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George's Medical University Ordinance, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2004.

THE KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2004

(U.P. ACT NO. 4 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the King George's Medical University Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

- | | |
|---|--|
| 1. (1) This Act may be called the King George's Medical University (Amendment) Act, 2004. | Short title and commencement |
| (2) It shall be deemed to have come into force on January 20, 2004. | |
| 2. In section 7 of the King George's Medical University Act, 2002 hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2) for the words "The Pro-Vice-Chancellor and a chief superintendent of hospital" the words "The Chief Superintendent of hospitals" shall be <i>substituted</i> . | Amendment of section 7 of U.P. Act no. 8 of 2002 |
| 3. In section 8 of the principal Act, clause (b) shall be <i>omitted</i> . | Amendment of section 8 |
| 4. In section 14 of the principal Act, clause (c) shall be <i>omitted</i> . | Amendment of section 14 |
| 5. In section 16 of the principal Act, in sub-section (11) the words "The Pro-Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro-Vice-Chancellor", shall be <i>omitted</i> . | Amendment of section 16 |
| 6. Section 18 of the principal Act shall be <i>Omitted</i> . | Omission of section 18 |
| 7. In section 22 of the principal Act, the words "the Pro-Vice-Chancellor," shall be <i>omitted</i> . | Amendment of section 22 |
| 8. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1) clause (d) shall be <i>omitted</i> . | Amendment of section 30 |
| 9. (1) The King George's Medical University (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed. | Repeal and savings |

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The King George's Medical University Act, 2002 (U.P. Act no. 8 of 2002) *inter alia* provided for the appointment of a Pro-Vice-Chancellor by the Vice-Chancellor from amongst the professors of the University. The Pro-Vice-Chancellor was being appointed without taking into account the *inter-seniority* among the professors of the University and the charge of the office of the Pro-Vice-Chancellor was being assigned to a junior professor due to which the teaching atmosphere of the University was affecting adversely. Besides in every faculty a Dean had already been appointed and hence the office of Pro Vice-Chancellor was not needed in the University. It was, therefore, decided to amend the said Act to abolish the office of the Pro-Vice-Chancellor in the University.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the King George's Medical University (Amendment) Ordinance, 2004 (U.P. Ordinance no. 1 of 2004) was promulgated by the Governor on January 20, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

R. B. RAO,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 970 राजपत्र (हि०)—(2344)—2004—597 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 254 सा० विधा०—(2345)—2004—850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।

No. 584/VII-V-1-1(Ka)20-2006

Dated, Lucknow May 24, 2006

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh King George Chikitsa Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 15 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 23, 2006.

THE UTTAR PRADESH KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY
(AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. Act no. 15 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh King George's Medical University Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh King George's Medical University (Amendment) Act, 2006.

2. In section 11 of the Uttar Pradesh King George's Medical University Act 2002, in clause (xviii):—

Amendment of
section 11 of
U.P. Act no. 8 of
2002

(a) for the words "Private Medical College" the words "Private Medical College or any such institution as is imparting education in para Medical Degree Courses" shall be *substituted*;

(b) for the words "such college" the words "such college or institution" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (xviii) of section 11 of the King George's Medical University Act, 2002 provides for granting affiliation to Government or Private Medical Colleges of the State by the King George's Medical University but there is no provision for granting affiliation to the institutions conducting para-medical courses of graduation level. In view of maintaining uniformity in courses and examinations of the institutions conducting para-medical courses it is necessary to affiliate the institutions conducting para-medical courses to the King George's Medical University. At present the policy of imparting education in the field of para-medical courses of graduation level has been formulated by the Government. It has, therefore, been decided to amend clause (xviii) of section 11 of the said Act to make the provisions as aforesaid.

The Uttar Pradesh King George's Medical University (Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,

RAM HARI VIJAY TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 फरवरी, 2019

माघ 29, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 430/79-वि-1-19-1(क)-18-18

लखनऊ, 18 फरवरी, 2019

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2018 जिससे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 18 फरवरी, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 8
सन् 2002 की
धारा 8 का
संशोधन
धारा 10 का
संशोधन

2-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 8 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;”

3-मूल अधिनियम की धारा 10 में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(क) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, परिचर्या, परा-चिकित्सा और ऐसी अन्य शाखाएं जो समय-समय पर विहित की जायें, में ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना और उसमें दक्षतापूर्ण एवं व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसन्धान सुनिश्चित करना;”

धारा 11 का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 11 में खण्ड (एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(एक) चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, परिचर्या, परा-चिकित्सा शाखाओं और ऐसी अन्य शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे और उन शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिये अनुसन्धान की व्यवस्था करना;”

धारा 14 का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“(ग) प्रति-कुलपति;”

धारा 16 का
संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(11) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (10) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रति-कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहाँ प्रति-कुलपति न हो, विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य, कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।”

नई धारा 18 का
बढ़ाया जाना

7-मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

“18-(1) यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी एक प्रति-कुलपति को प्रति-कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति-कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(3) प्रति-कुलपति, कुलपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय।

(5) प्रति-कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें।”

धारा 22 का
संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द “कुलपति, वित्त अधिकारी” के स्थान पर शब्द “कुलपति, प्रति-कुलपति, वित्त अधिकारी” रख दिये जायेंगे।

धारा 24 के
स्पष्टीकरण का
संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 24 में स्पष्टीकरण में, शब्द एवं अंक “कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में परिभाषित” के स्थान पर शब्द एवं अंक “समय-समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में परिभाषित और कम्पनी (परिभाषाओं के ब्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 के अधीन विहित” रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का
संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (2) में खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(दो) संकायों के अध्यक्ष;”

धारा 30 का
संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

“(घ) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;”

धारा 31 का
संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

“(1) विश्वविद्यालय में चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, परिचर्या, परा-चिकित्सा और ऐसे अन्य संकाय होंगे, जैसे विहित किये जायें।”

13-मूल अधिनियम की धारा 35 में, शब्द "आचार्य या सह आचार्य", जहाँ कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "आचार्य या अपर आचार्य या सह आचार्य" रख दिये जायेंगे।

धारा 35 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 36 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

धारा 36 का संशोधन

"(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, विश्वविद्यालय में इस धारा के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या पदोन्नत कोई सह आचार्य या अपर आचार्य, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हतायें रखता हो, जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सह आचार्य या अपर आचार्य या आचार्य पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।"

उद्देश्य और कारण

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002, किंग जार्ज मेडिकल कालेज और गांधी मेमोरियल एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को लखनऊ विश्वविद्यालय से अन्तरित करके किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के समान उक्त विश्वविद्यालय में अपर आचार्य के पद का कोई उपबन्ध नहीं है। विश्वविद्यालय में बेहतर अध्यापन और राज्य के लोगों के लिए आधुनिक सुविधाओं का उपबन्ध किये जाने की दृष्टि से अपर आचार्य एवं कुलपति की सहायता करने के लिए प्रति-कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अपर आचार्य एवं प्रति-कुलपति के पदों का सृजन करने तथा विश्वविद्यालय में अतिरिक्त संकायों के सृजन हेतु विश्वविद्यालय को सशक्त करने का उपबन्ध करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
संजय खरे,
प्रमुख सचिव।

No. 430 (2)/LXXIX-V-1-19-1(ka)-18-18
Dated Lucknow, February 18, 2019.

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George Chikitsa Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 18, 2019. The Chikitsa Shiksha Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH
(AMENDMENT) ACT, 2018
(U.P. Act no. 2 of 2019)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

further to amend the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|---|--|
| 1. This Act may be called the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2018. | Short title |
| 2. In section 8 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002, hereinafter referred to as the principal Act, after clause (a) the following clause shall be inserted, namely:- "(b) The Pro-Vice Chancellor, if any;" | Amendment of section 8 of U.P. Act no. 8 of 2002 |
| 3. In section 10 of the principal Act, for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:- "(a) to disseminate and advance knowledge in medicine, dentistry, nursing, para-medical and such other disciplines as may be prescribed from time to time and to ensure efficient and systematic instructions, teaching, training and research therein;" | Amendment of section 10 |

| | |
|--|---|
| Amendment of section 11 | 4. In section 11 of the principal Act, <i>for</i> clause (i) the following clause shall be <i>substituted</i> , namely:— “(i) to institute teaching and training in such branches of medicine, dentistry, nursing, para-medical and other disciplines as the University may think fit, and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge in those branches;” |
| Amendment of section 14 | 5. In section 14 of the principal Act, <i>after</i> clause (b) the following clause shall be <i>inserted</i> , namely:— “(c) the Pro-Vice-Chancellor;” |
| Amendment of section 16 | 6. In section 16 of the principal Act, <i>for</i> sub-section (11) the following sub-section shall be <i>substituted</i> , namely:— “(11) Until a Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) or sub-section (5) or sub-section (10) assumes office, the Pro-Vice-Chancellor, if any, or where there is no Pro-Vice-Chancellor, the seniormost Professor of the University shall discharge the duties of the Vice-Chancellor as well.” |
| Insertion of new section 18 | 7. <i>After</i> section 17 of the principal Act, the following section shall be <i>inserted</i> , namely:— “18. (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro-Vice-Chancellor from amongst the Professors of the University. (2) The Pro-Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge the duties in addition to his duties as a Professor. (3) The Pro-Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice-Chancellor. (4) The Pro-Vice-Chancellor shall get a special allowance of such amount as may be determined by general or special orders by the State Government. (5) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall preside over the meetings of the University in absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.” |
| Amendment of section 22 | 8. In section 22 of the principal Act, <i>for</i> the words “the Vice-Chancellor, the Finance Officer” the words “the Vice-Chancellor, the Pro-Vice-Chancellor, the Finance Officer” shall be <i>substituted</i> . |
| Amendment of explanation to section 24 | 9. In section 24 of the principal Act, in the Explanation, <i>for</i> the words and figures “defined in section 6 of the Companies Act, 1956” the words and figures “defined in section 2 of the Companies Act, 2013 and prescribed under rule 4 of the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 as amended from time to time” shall be <i>substituted</i> . |
| Amendment of section 29 | 10. In section 29 of the principal Act, in sub-section (2) <i>for</i> clause (ii) the following clause shall be <i>substituted</i> , namely:— “(ii) the Deans of the Faculties;” |
| Amendment of section 30 | 11. In section 30 of the principal Act, in sub-section (1) <i>after</i> clause (c) the following clause shall be <i>inserted</i> , namely:— “(d) the Pro-Vice-Chancellor, if any;” |

12. In section 31 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:— Amendment of section 31

“(1) The University shall have faculties of medical, dentistry, nursing, para-medical and such other faculties as may be prescribed.”

13. In section 35 of the principal Act, *for* the words “Professor or an Associate Professor” wherever occurring the words “Professor or an Additional Professor or an Associate Professor” shall be *substituted*. Amendment of section 35

14. In section 36 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*:— Amendment of section 36

“(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, an Assistant Professor substantively appointed or an Associate Professor or an Additional Professor substantively appointed or promoted under this section in the University, who has put in such length of service and possesses such qualification as may be prescribed, may be given personal promotion respectively to the post of Associate Professor or Additional Professor or Professor.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The King George’s Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002 has been enacted to provide for the establishment of a Medical University by the name of the King George’s Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow by transfer of the King George’s Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals from the University of Lucknow. There is no provision for the post of Additional Professor in the said University, like that of the Sanjay Gandhi Post-graduate Institute of Medical Sciences, Lucknow and the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. With a view to providing better teaching in the University and modern facilities to the people of the State, it has been decided to amend the said Act to provide for the creation of the post of Additional Professor and the office of the Pro-Vice-Chancellor to discharge the duties of the Additional Professor and the Pro-Vice-Chancellor to assist the Vice-Chancellor and to empower the University to create the additional faculties in the University.

The King George’s Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2018 is introduced accordingly.

By order,
SANJAI KHARE,
Pramukh Sachiv.



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/kk h i f'f' k'V
Hkx-1] [k M 1/2
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] 'k'okj] 2 t uojh] 2026
i ksk 12] 1947 'kd l for~

उत्तर प्रदेश शासन
fo/kk h vuHkx&1

संख्या 264 / 79-वि-1-2026-1-क-24-2025
लखनऊ, 2 जनवरी, 2026

अधिसूचना
fofo/k

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 1 जनवरी, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2026 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2025
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2026)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-यह अधिनियम किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम
संख्या 8 सन् 2002 की
धारा 24 का संशोधन

2-किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 की धारा 24 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

“(1क) उपर्युक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, कार्यकारी परिषद में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्यों में से, एक सदस्य और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों से संबंधित विश्वविद्यालय के वरिष्ठतम आचार्यों से भी एक सदस्य सम्मिलित होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा कुलपति के परामर्श से, चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।”

mnas; vls dlj.k

लखनऊ विश्वविद्यालय से किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और गाँधी मेमोरियल एण्ड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को अंतरित करके उक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना और उससे सम्बंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002), अधिनियमित किया गया है।

किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में, आरक्षित श्रेणियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा अनुश्रवण हेतु कार्य परिषद् में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 24 में संशोधन किए जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 264 (2)/LXXIX-V-1-2026-1-ka-24-2025

Dated Lucknow, January 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George Chikitsa Vishwavidyalay, Uttar Pradesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2026) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 1, 2026. The Chikitsa Shiksha Anubhag-2 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY, UTTAR PRADESH
(AMENDMENT) ACT, 2025
(U.P. Act no. 2 of 2026)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2025.

2. In Section 24 of the King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

Amendment
of Section 24 of
U.P. Act no. 8 of
2002

"(1A) In addition to the members specified in the above sub-section (1), the Executive Council shall also include one member from amongst the senior most Professors of the University belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and one member from amongst the senior most Professors of the University belonging to other backward classes of citizen, to be nominated by the State Government, on rotation basis, in consultation with the Vice-Chancellor."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASON

The King George's Medical University, Uttar Pradesh Act, 2002 (U.P. Act no. 8 of 2002) has been enacted to provide for the establishment of a Medical University by transfer of King George's Medical College and the Gandhi Memorial and Associated Hospitals from the University of Lucknow to the said Medical University and for matters connected therewith.

To ensure the representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the Executive Council to protect and monitor the constitutional rights of reserved categories in King George's Medical University, Uttar Pradesh, it has been decided to amend Section 24 of the aforesaid Act.

The King George's Medical University, Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2025 is introduced accordingly.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.